INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO

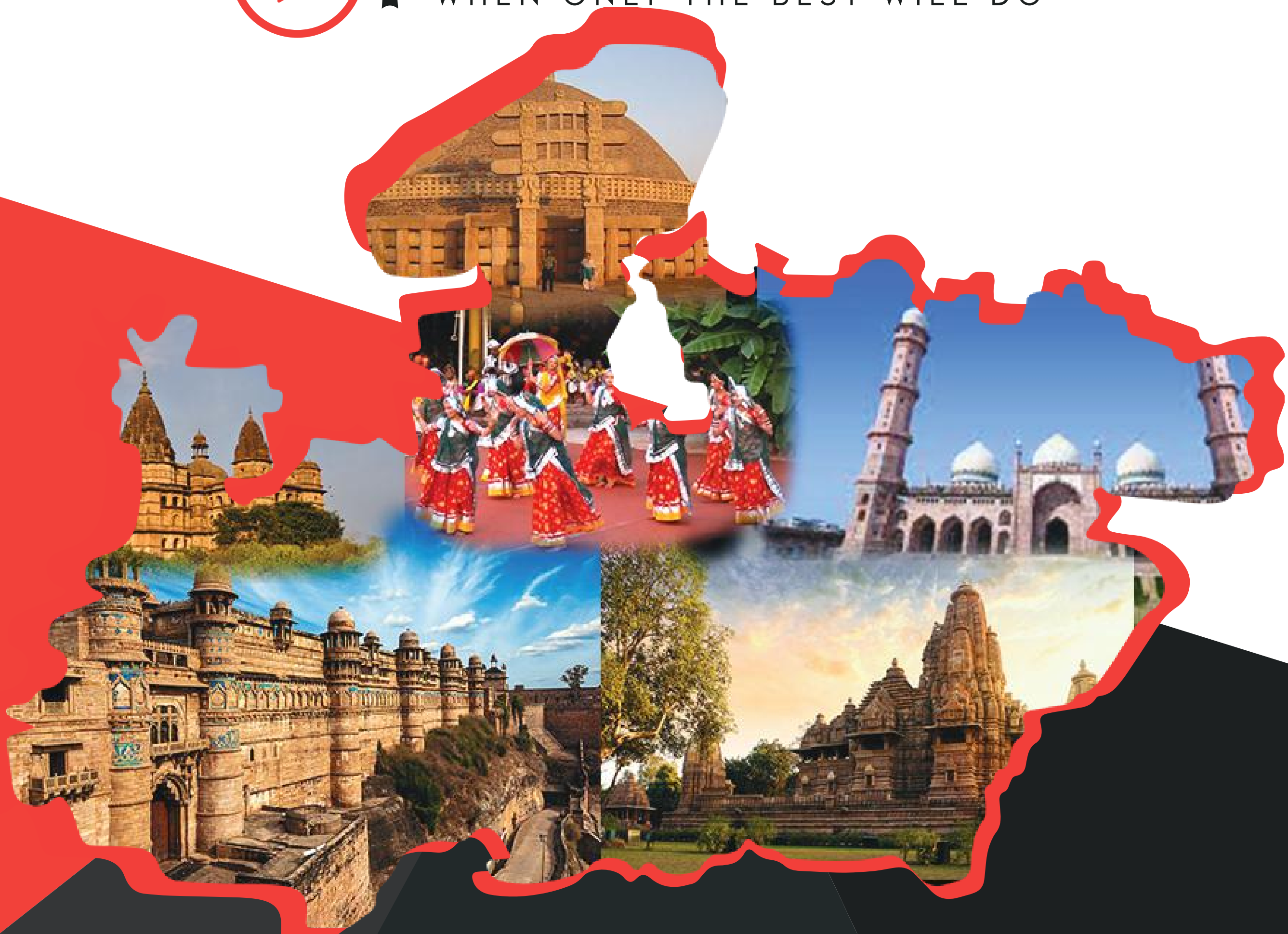

LATEST EDITION

MPPSC-PCS

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु

HANDWRITTEN NOTES

भाग -9 हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन

INFUSION NOTES

WHEN ONLY THE BEST WILL DO

MPPSC-PCS

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु

भाग – 9

हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन

प्रस्तावना

*प्रिय पाठकों, प्रस्तुत नोट्स **"MPPSC -PCS (Madhya Pradesh Public Service Commission) (प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा हेतु)"** को एक विभिन्न अपने अपने विषयों में निपुण अध्यापकों एवं सहकर्मियों की टीम के द्वारा तैयार किया गया है / ये नोट्स पाठकों को **मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC)** द्वारा आयोजित करायी जाने वाली परीक्षा **"संयुक्त राज्य / अपर अधीनस्थ सेवा (PCS)"** भर्ती परीक्षा में पूर्ण संभव मदद करेंगें* **/**

अंततः सतर्क प्रयासों के बावजूद नोट्स में कुछ कमियों तथा त्रुटियों के रहने की संभावना हो सकती हैं / अतः आप सूचि पाठकों का सुझाव सादर आमंत्रित हैं/

प्रकाशकः

INFUSION NOTES

जयपुर, 302029 (RAJASTHAN)

मो : 9887809083

ईमेल : contact@infusionnotes.com

वेबसाइट : http://www.infusionnotes.com

WhatsApp करें - https://wa.link/dy0fu7

Online Order करें - https://bit.ly/3BGkwhu

मूल्य : ₹	संस्करण : नवीनतम (2023)

क्र. सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
1.	निबंध लेखन • शिक्षा में गुणवत्ता • राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय एकता • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / कृत्रिम बुद्धिमता • विज्ञान • नवीनीकरणीय ऊर्जा • आधुनिकीकरण • E-marketing ई - मार्केटिंग • ई-कॉमर्स • परम्परागत खेल • उदारीकरण • संस्कृति एवं सभ्यता • योग एवं स्वास्थ्य • धर्म और आध्यात्म • भूमंडलीकरण • सुशासन • सामुदायिक जीवन • नौकरशाही • जनजातीय विकास • घरेलू हिंसा • साइबर अपराध • आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा • मादक पदार्थो का सेवन एवं दुष्प्रभाव	1- 70
2.	द्वितीय निबंध	71-104
	समसामयिक समस्याएं एवं निदान • वैश्विक डिजिटल क्रांति • पेट्रोलियम ईंधन • भारत में शहरीकरण का निर्माण • भारत में ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में समस्या • खुशहाली रिपोर्ट में भारत की स्थिति	

	• उच्च शिक्षा में विदेशी संस्थाओं का प्रवेश • नई शिक्षा नीति का फोकस नौकरियों के निर्माण पर • आत्मनिर्भर भारत में छोटे उद्यम के लिए समस्याए • बदलते मौसम के असर से खेती पर संकट • जनसंख्या की चुनौती • G-20 में मोटे अनाज को बढ़ावा देने का बेहतरीन अवसर • भ्रष्टाचार के बदलते स्वरूप • दुनिया के लिए संकटमोचक बनता भारत • खनिज धातु लिथियम भंडार का मिलना इतना अहम क्यों • भारतीयों की थाली में क्या फिर लौट • आएंगे मोटे अनाज • स्मार्ट सिटी की परिकल्पना के क्या हैं मायने • विदेशी विश्वविद्यालयों के प्रवेश का विरोध • पर्यावरण बनाम विकास • एकजुटता ही उपाय • विकासशील देशों की आवाज बनता भारत • नया उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019	
3.	प्रारूप लेखन	105-122

अध्याय – 1
निबंध लेखन

निबंध के 4 अंग होते हैं

1. **शीर्षक** : निबंध में हमेशा शीर्षक आकर्षक होना जरूरी है। शीर्षक पढ़ने से लोगों में उत्सुकता ज्यादा होती है।
2. **प्रस्तावना**: निबंध में सबसे श्रेष्ठ प्रस्तावना होती है, भूमिका नाम से भी इसे जाना जाता है। निबंध की शुरुआत में हमें किसी भी प्रकार की स्तुति, श्लोक या उदाहरण से करते हैं तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है।
3. **विषय विस्तार** – निबंध में विषय विस्तार का सर्व प्रमुख अंश होता है, इसके अंदर तीन से चार अनुच्छेदों को अलग-अलग पहलुओं पर विचार प्रकट किया जा सकता है। निबंध लेखन में इसका संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है। विषय विस्तार में निबंधकार अपने दृष्टिकोण को प्रकट करते हुए बता सकता है ।
4. **उप संहार** – उप संहार को निबंध में सबसे अंत में लिखा जाता है। पूरे निबंध में लिखी गई बातों को
5. हम एक छोटे से अनुच्छेद में बता सकते हैं। इसके अंदर हम संदेश, उपदेश, विचारों या कविता की पंक्ति के माध्यम से भी निबंध को समाप्त कर सकते हैं ।

निबंध के प्रकार

निबंध तीन प्रकार के होते हैं विषय के अनुसार

1. **वर्णनात्मक** – सजीव या निर्जीव पदार्थ के बारे में जब हम निबंध लेखन करते हैं तब उसे वर्णनात्मक निबंध कहते हैं। यह निबंध लेखन स्थान, परिस्थिति, व्यक्ति आदि के आधार पर निबंध लिखा लिखा जाता है ।

- **प्राणी**
  1. **श्रेणी**
  2. **प्राप्ति स्थान**
  3. **आकार प्रकार**
  4. **स्वभाव**
  5. **विचित्रता**
  6. **उपसंहार**
- **मनुष्य**
  1. **परिचय**
  2. **प्राचीन इतिहास**
  3. **वंश परंपरा**
  4. **भाषा और धर्म**
  5. **सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन**
- **स्थान**
  1. **अवस्थिति**
  2. **नामकरण**
  3. **इतिहास**
  4. **जलवायु**
  5. **शिल्प**
  6. **व्यापार**
  7. **जाति धर्म**
  8. **दर्शनीय स्थान**
  9. **उपसंहार**

2. **विवरणात्मक** – ऐतिहासिक, पौराणिक या फिर आकस्मिक घटनाओं पर जब हम निबंध लेखन लिखते हैं उसे विवरणात्मक निबंध कहते हैं। यह निबंध लेखन यात्रा, मैच, ऋतु आदि पर लिख सकते हैं।

- **ऐतिहासिक**
  1. **घटना का समय और स्थान**
  2. **ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**
  3. **कारण और फलाफल**
  4. **इष्ट अनिष्ट और मंतव्य**
- **आकस्मिक घटना**
  1. **परिचय**
  2. **तारीख, स्थान और कारण**
  3. **विवरण और अंत**
  4. **फलाफल**
  5. **व्यक्ति और समाज**
  6. **कैसा प्रभाव हुआ**
  7. **विचारात्मक**

3. विचारात्मक निबंध: गुण , दोष , या धर्म आदि पर निबंध लेखन लिखा जाता है उसे विचारात्मक निबंध कहता है। या निबंध में किसी भी प्रकार की देखी गई यह सुनी गई बातों का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसमें केवल कल्पना और चिंतन शक्ति की गई बातें लिख सकते हैं।

- अर्थ, परिभाषा, भूमिका
- सार्वजनिक या सामाजिक, स्वाभाविक, कारण
- तुलना
- हानि और लाभ
- प्रमाण
- उप संहार

निबंध लिखते समय नीचे गई बातों का ध्यान में रखें

- निबंध में विषय पर पूरा ज्ञान होना चाहिए ।
- अलग-अलग प्रकार के अनुच्छेद को एक दूसरे के साथ जुड़े होना चाहिए ।
- निबंध की भाषा सरल होनी अनिवार्य है
- निबंध लिखे गए विषय की जितनी हो सके उतनी जानकारी प्राप्त करें ।
- निबंध में स्वच्छता और विराम चिन्हों पर खास ध्यान दें ।
- निबंध में मुहावरों का प्रयोग होना जरूरी है।
- निबंध में छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग करें।
- निबंध में आरंभ में और अंत में कविता की पंक्तियों का भी उल्लेख कर सकते हैं।

शिक्षा में गुणवत्ता

सन्दर्भ :-

गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा आधुनिक समाज की मांग है और चाहे कोई भी क्षेत्र हो गुणवत्ता की मांग हार जगह होती है । गुणवत्ता शिक्षा से आशय शिक्षा में गुणों का समावेश करना है, जिससे छात्रों एवं शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति भली-भांति हो सकें ।

जब किसी कार्य में उस कार्य से संबंधित सभी गुणों का समावेश होता है । तो उस कार्य की गुणवत्ता के रूप में देखा व समझा जा सकता है । और यहीं पहलू शिक्षा में भी होता है । हम शिक्षा में गुणवत्ता की बात जब करते हैं तो हम ऐसी शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण मानेंगे जो छात्रों को उस शिक्षा का लाभ पहुँचाएँ ।

शिक्षा पूर्ण मानव क्षमता को प्राप्त करने क लिए एक न्यायसंगत और न्यायपूर्ण समाज के विकास एवं राष्ट्रीय विकास को बढ़ावा देने के लिए मूलभूत आवश्यकता है ।

पृष्ठभूमि :- देश में शिक्षा में गुणवत्ता की आवश्यकता अधिक समय से महसूस की जा रही थी । गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आशय है वह शिक्षा जो अपने निर्माण के उद्देश्यों के निर्वहन करें । गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उसी शिक्षा का समावेश होता है, जो शिक्षा शिक्षण अधिगम में छात्रों की रुचि एवं क्षमताओं को समझे एवं समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करें और छात्रों को जिविकोपार्जन योग्य बनाये ।

- 1993 में हुए यूनेस्कों सम्मेलन में शिक्षण अधिगम के 4 उद्देश्य निर्धारित किए गए जो इस प्रकार है –

बनना सीखना : (Learning to Be) :- अर्थात व्यक्तियों के व्यक्तित्व का निर्माण करना , उनके सामाजिक , आर्थिक , राजनीतिक , सांस्कृतिक , गुणों का विकास करना । छात्रों को इस तरह तैयार करना कि वह देश काल परिस्थितियों के अनुसार समाज के साथ समन्वय स्थापित कर सकें । छात्र अपने सामाजिक कर्तव्यों का भलि-भांति निर्वहन कर सकें ।

करना सीखना (Learning to Do) :- यूनेस्कों के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य सिर्फ छात्रों का ज्ञानात्मक विकास करना नहीं बल्कि छात्रों के क्रियात्मक विकास पर भी बल देना है । यह छात्रों को करके सीखने को स्थायी शिक्षा मानते हैं और वहीं शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मानी जाती जाती है , जो स्थायी शिक्षा मानते हैं और वहीं शिक्षा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मानी जाती है , जो स्थायी हो और जिसका प्रयोग छात्र जरुरत पड़ने पर कर सकें।

जानना सीखना (Learning to Know) :- इसका अर्थ है ज्ञान को जानना अर्थात् जो ज्ञान छात्र प्राप्त करते हैं उन्हें उस ज्ञान के बारे में पता होना चाहिए कि उसका उपयोग कब और कैसे

में सुधार करने की जरुरत है । अभी शिक्षण की विधियाँ राज्य स्तर से तय की जाती है । जिनमें कक्षागत शिक्षण कौशलों को या तो नकार दिया जाता है , या उन्हें परिस्थितिजन्य मान लिया जाता है ।

शिक्षकों के अच्छे प्रशिक्षण का दायित्व कर्तव्यनिष्ठ , योग्य और क्षमतावान प्रशिक्षकों को सौंपा जाना चाहिए । शिक्षकों के प्रशिक्षण को प्रभावी बनाने शिक्षण में नवाचारी पद्धतियों का विकास करने सहित परीक्षण / मूल्यांकन की व्यापक प्रविधियाँ तय कर उन्हें व्यावहारिक स्वरूप में लागू करने की दिशा में कारगर कदम उठाने चाहिए ।

" शिक्षा सबसे अच्छी मित्र है । " एक शिक्षित व्यक्ति का हर जगह सम्मान किया जाता है ।

" शिक्षा सुंदरता और युवाओं को हरा देती है । "

निष्कर्ष :- शिक्षा बच्चों के समग्र विकास , बच्चों के ज्ञान , संभावना और प्रतिभा निखारने तथा बच्चे की मित्रवत प्रणाली एवं बच्चा केन्द्रित ज्ञान प्रणाली के द्वारा बच्चे को डर , चोट और चिंता से मुक्त करने को संकल्पबद्ध है । किसी भी समाज व देश के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा एक आवश्यक व अनिवार्य तत्व है तथा इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक राष्ट्र के द्वारा व्यापक राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण किया जाता है ।

राष्ट्रवाद एवं राष्ट्रीय एकता

" जो भरा नहीं है भावों से , बहती जिसमें रसधार नहीं ।

वह हृदय नहीं पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं । "

राष्ट्रवाद का जन्म :- वास्तव में एक राष्ट्र का जन्म तभी होता है जब इसकी सीमा में रहने वाले सभी नागरिक सांस्कृतिक विरासत एवं एक - दूसरे के साथ भागीदारी की भावना महसूस कर सकें । राष्ट्रवाद की भावना ही कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत को एक धागे में बांधे रखती है । भारत जैसे विशाल देश में राष्ट्रवाद की भावना हमेशा जात-पात , पंथ और धर्म के मतभेदों से ऊपर उठ रही है । राष्ट्रवाद की भावना की वजह से ही भारतीयों को दुनिया के उस सबसे बड़े लोकतंत्र में रहने का गौरव प्राप्त है जो शांति , मानवता , भाईचारे और सामूहिक प्रगति के अपने मूल्यों के लिए जाना जाता है ।

भारतीय संविधान में सामाजिक समानता को मूलभूत अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है । गांधीजी, नेहरु और डॉ. अम्बेडकर जैसे नीति प्रवर्तकों ने संविधान निर्माण के दौरान इस व्यवस्था का इस आधार पर समर्थन किया था कि संवैधानिक स्वरूप ग्रहण कर लेने के पश्चात देश की सामाजिक व्यवस्था को क्षेत्रवाद से मुक्त होने का अवसर प्राप्त होगा । तथा देश में ऐसी राजनीतिक व्यवस्था का प्रादुर्भाव होगा । जिसमें सभी लोग एक समान होंगे , तथा भाषा सम्प्रदाय तथा क्षेत्र के आधार पर उनमें परस्पर विभेद नहीं होगा । संविधान के प्रवर्तन के सात दशक हो गए हैं, फिर भी इतने वर्षों बाद भी यह प्रश्न आज भी हमें उद्वलित कर रहा है, कि समता पर आधारित राजनीतिज व्यवस्था की स्थापना के बावजूद भारत के राजनीतिक ही नहीं वरन् सामाजिक जीवन में भी क्षेत्रीय भेदभाव उसी रूप में विद्यमान है जिस रूप में वह स्वतंत्रता से पूर्व था ।

क्षेत्रवाद से अभिप्राय किसी देश के उस छोटे से क्षेत्र से है , जो आर्थिक सामाजिक आदि कारणों से अपने पृथक अस्तित्व के लिए जागृत है । अपने क्षेत्र या भूगोल के प्रति अधिक प्रयत्न आर्थिक , सामाजिक व राजनीतिक अधिकारों की चाह की भावना को क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है । इस प्रकार की भावना से बाहरी बनाम भीतरी तथा अधिक संकीर्ण रूप धारण करने पर यह क्षेत्र बनाम राष्ट्र हो जाती है , जो किसी भी देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन जाती है । भारत सहित दुनिया के अन्य अनेक देशों में राष्ट्रवाद की मानसिकता को लेकर वहाँ के निवासी स्वयं को विशिष्ट मानते हुए अन्य राज्यों व लोगों से अधिक अधिकारों की माँग करते हैं , आंदोलन करते है तथा सरकार पर अपनी माँग मनवाने के लिए दबाव डाला जाता है । कई बार इस तरह इसकी कोशिशों का परिणाम हिंसा के रूप में सामने आता है ।

राष्ट्रवाद औपनिवेशिक शासन की देन :-

वस्तुतः राष्ट्रवाद की समस्या कोई नई नहीं है। स्वतंत्रता के पूर्व यह समस्या अंग्रेजों द्वारा प्रेरित थी, जिसके मूल में उनकी बाँटों और राज करो नीति थी। संविधान में इस दुष्प्रवृति को समाप्त करने के ध्येय से भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया। शक्तिशाली केन्द्र, एकल नागरिकता एकीकृत न्यायपालिका तथा एकीकृत अखिल भारतीय सेवा जैसी व्यवस्था के माध्यम से क्षेत्रीयता को समाप्त करने का हर संभव प्रयास किया गया, किन्तु स्वतंत्रता के पश्चात भी भारत में क्षेत्रवाद की प्रवृत्ति का तीव्र गति से विकास हुआ।

अंग्रेजों की " बाँटों और राज करो " नीति को अब हमारे राजनेताओं ने अपना लिया और आज वे इस मूल मंत्र का प्रयोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं। क्षेत्रवाद के नाम पर जहाँ देश के कुछ हिस्सों में उत्तर भारतीयों को खदेड़ने के अभियान छेड़े जाते रहे हैं, वहीं अलगाव की प्रवृतियाँ भी बढ़ी है। वर्ष 1968 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग व नक्सलवादी क्षेत्रों में होने वाले उपद्रव्यों से चिन्तित होकर केन्द्र सरकार द्वारा उपद्रवग्रस्त क्षेत्रों में हथियार रखने पर प्रतिबन्ध लगा देने को राज्य सरकार द्वारा केन्द्र का हस्तक्षेप मानता व जनता पार्टी के शासन काल में गौ हत्या प्रतिबंध के विषय पर केन्द्र और तमिलनाडु, केरल व पश्चिम बंगाल की सरकारों के बीच विवाद उत्पन्न होना उग्र क्षेत्रवाद का प्रमुख उदाहरण है।

साधारण क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता कोई नकारात्मक प्रवृति नहीं है। अपने धर्म, संस्कृति, अपनी परम्पराओं, अपनी परम्पराओं, अपने क्षेत्र से प्रेम एक अच्छी प्रवृति है। इसमें बुराइयों का समावेश तब हो जाता है। जब हम क्षेत्रवाद की राष्ट्रवाद से ऊपर मानने लगते हैं।

एक क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों द्वारा व्यक्तियों द्वारा अपने क्षेत्र के लोगों के प्रति भावनात्मक एकता का होना स्वभाविक लक्षण है किन्तु इस स्वभाविक प्रकृति में जब संकीर्णता आने लगती है, तथा व्यक्ति अपने क्षेत्रीय हितों के प्रति इतना अधिक संकेन्द्रित हो जाता है कि वह राष्ट्रवाद की भावना का परित्याग कर डेता है। यह प्रवृति देश की एकता और अखंडता के समक्ष खतरा पैदा कर देती है।

राष्ट्रवाद के महत्व :- एक देश की जनता में राष्ट्रवाद की भावना को होना अति-आवश्यक है। आज पुरी दुनिया छोटे-छोटे राष्ट्रों में विभाजित है। जिनमें कई धर्मों व जातियों के लोग रहते हैं, जो अपने उस राष्ट्र को काफी महत्व देते हैं। कई लोग अपने राष्ट्र को माँ का दर्जा भी देते हैं, और इसकी सुरक्षा के लिए हँसते-हँसते अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। राष्ट्रवाद सिर्फ एक भावना है जो हमें हार व्यक्ति से जुड़े रखने का प्रयास करती है। और सभी में एकजुटता की भावना का विकास करती है।

राष्ट्रवाद देश को एकसूत्र में बांधता है :- राष्ट्रवाद एक ऐसी सामूहिक भावना है जिसकी ताकत का अंदाजा इस हकीकत से लगाया जा सकता है, कि इसके आधार पर बने देश की सीमाओं में रहने वाले लोग अपनी विभिन्न अस्मिताओं के ऊपर राष्ट्र के प्रति निष्ठा को ही अहमियत देते हैं। और आवश्यकता पड़ने पर देश के लिए प्राणों का बलिदान भी देने में नहीं हिचकिचाते। राष्ट्रवाद की भावना की वजह से ही एक-दूसरे से कभी न मिलने वाले और एक दूसरे से पूरी तरह अपरिचित लोग भी राष्ट्रीय एकता में बांध जाते हैं। विश्व के सभी देशों में राष्ट्रवाद के जरिये ही नागरिकों में राष्ट्रवाद से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर सहमती बनाने में कामयाब हो पाए हैं।

देश के समान कारक :- राष्ट्र के लोगों में समान कारक राष्ट्र के लोगों में समान भावना का निर्माण करती है। इस सामान्य कारकों में उस क्षेत्र की भाषा लोगों की वेशभूषा रहन-सहन इत्यादि की भावना का निर्माण करती है। इस सामान्य कारकों में उस क्षेत्र की भाषा, लोगों की वेशभूषा, रहन-सहन इत्यादि की भावना भी उस क्षेत्र के कारक के अंतर्गत आती है, देश में परंपरा, लोक संस्कृति और लोक नाट्य प्राचीन समय से ही चले आ रहे हैं, और हमारे देश के लोग भी उनका सम्मान करते हैं। इन सब अलग-अलग कारकों के बावजूद हम सब एक साथ जुड़े रहते हैं। इन्हीं कारकों के कारण लोगों में राष्ट्रवाद की भावना होती है।

राष्ट्रवाद से देश की सुरक्षा :- *जिस देश के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना होती है , उस देश की सुरक्षा भी मजबूत होती है । यहीं कारण है , देश में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए भी राष्ट्रवाद काफी महत्वपूर्ण है । देश के हार नागरिक को राष्ट्रवाद का संकल्प करना चाहिए राष्ट्रवाद के बढ़ने से लोगों में एकता की भावना बढ़ती है । राष्ट्रवाद का भाव लोगों में बने रहने से अखण्डता भी बनी रहती है । देश के लोगों में राष्ट्रवाद से ही देश की सुरक्षा बढ़ती है ।*

राष्ट्र के लिए राष्ट्रीय एकता अखण्डता के महत्व को समझते हुए देशवासियों के हृदय में एकता की भावना प्रभावित करने तथा राष्ट्रीय एकता को गंभीरता से लेने के लिए राष्ट्रीय एकता दिवस और राष्ट्रीय एकता सप्ताह दोनों ही अलग-अलग समय पर आयोजित किये जाते हैं । दोनों समारोह का उद्देश्य एक है राष्ट्रीय एकता के महत्व के प्रति जन जागरूकता फैलाना ।

राष्ट्रीय एकता से तात्पर्य :- *देश के नागरिक जब छुआछुत और जात-पात की भावना से ऊपर उठकर भाईचारे के समूह में बन जाते हैं , जिसमें राष्ट्र सभी के लिए सर्वोपरि है , उस भावना को राष्ट्रीय एकता के नाम से संबोधित किया गया है ।*

राष्ट्रवादियों के अनुसार – *" व्यक्ति राष्ट्र के लिए है , राष्ट्रीय व्यक्तियों के लिए नहीं " इस दृष्टि से व्यक्ति का राष्ट्र के अभाव में कोई अस्तित्व नहीं ।*

राष्ट्रीय एकता का महत्व :- *देश को गुलामी , साम्प्रदायिक झगड़ों , दंगों से बचाने के लिए देश में राष्ट्रीय एकता का होना अति आवश्यक है 200 साल से भी अधिक की गुलामी के पश्चात प्राप्त स्वतंत्रता का हमें सम्मान करना चाहिए तथा किसी भी कारणवश राष्ट्रीय एकता पर उंगली उठ सके , ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए । ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा यह पाने पर की " फूट डालो और राज करो " की नीति हम पर काम करेगी । उनका मनोबल बढ़ गया और उन्होंने ऐसा ही किया एकता में शक्ति आती गई ।*

हमें राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझना चाहिए ।

राष्ट्रीय एकता दिवस :- *सरकार वल्लभ भाई पटेल के देश को एक सूत्र में पिरो के रखने की सोच को सदैव देशवासियों के स्मृति में जिंदा रखने के लिए , 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 31 अक्टूबर को वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई ।*

राष्ट्रीय एकता क्यों आवश्यक है ?

अलग-अलग धर्म और जाति होने के बावजूद हमारे देश को जो वस्तु प्रगति के रास्ते पर अग्रसर करती है वह है हमारी राष्ट्रीय एकता । यहीं कारण है कि हमें भारत में विविधता में एकता के वास्तविक अर्थ को समझना चाहिए । इसका यह कतई मतलब नहीं है कि अखण्डता की प्रकृति यहाँ पर नस्लीय और सांस्कृतिक समानता के कारण होनी चाहिए बल्कि इसका मतलब है कि इतने अंतर के बावजूद भी एक एकात्मकता है ।

पूरे विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले देश के रूप में भारत को गिना जाता है जहाँ पर 1652 भाषाएँ बोली जाती है । और विश्व के सभी मुख्य धर्म के लोग यहाँ एक साथ रहते हैं । सभी मुख्य धर्म के लोग यहाँ पर एक साथ रहते हैं । सभी मतभेदों के बावजूद भी हमें बिना किसी राजनीतिक और सामाजिक विरोधाभास के शांति से एक दूसरे के साथ रहना चाहिए । हमें इस महान देश में एकता का आनंद उठाना चाहिए जहाँ राष्ट्रीय एकीकरण के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सब कुछ विविधता है इसलिए इन कारणों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि हमें हमारे देश का पूर्ण विकास करना है तो हम में राष्ट्रीय एकता का होना आवश्यक है ।

उपसंहार :- *विज्ञान की उन्नति के कारण आज भौतिक विकास अपनी चरम सीमा पर है । यदि भौतिक विकास के साथ-साथ वैचारिक विकास भी बनाए रखा जाए , तो राष्ट्रीय एकता की भावना को बल मिलेगा , जिससे देश और भी मजबूत होगा । एक संगठित देश को विश्व पटल पर बड़ी शक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता । हमें यह भूलना चाहिए कि जो राष्ट्र संगठित होता है उसे न कोई तोड़ सकता है और न ही कोई उसका कुछ बिगाड़ सकता है । अतः प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि देश की एकता तथा*

अखण्डता को बनाए रखने का हार संभव प्रयास करें।

भारत की विशेषता उसकी अनेकता में एकता का होना है। किसी भी राष्ट्र के लिए राष्ट्र की एकता हथियार के रूप में कार्य करती है। राष्ट्रीय एकता के न होने की स्थिति में किसी भी राष्ट्र को बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता है। अत : हम सभी देशवासियों को राष्ट्रीय एकता के महत्व को समझना चाहिए। राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को बनाए रखने के लिए कानून की किताब (संविधान)को नीतियों से भरा गया। स्वतंत्र भारत के लिए राष्ट्रीय एकता महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। अत: हमें हार हाल में राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना चाहिए।

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस / कृत्रिम बुद्धिमता

संदर्भ :- आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों द्वारा मानव बुद्धि का अनुकरण है। यह वर्तमान समय में प्रौद्योगिकी और नवाचार की दुनिया में सबसे तीव्र विकास कर रहा है। इसलिए आज के युग को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग कहा जाता है। यह विभिन्न प्रकार की चुनौतियों व संकट का हल कर सकता है, जिस कारण इसके प्रयोग को लेकर सावधानी भी बरतने की आवश्यकता है।

इसका शाब्दिक अर्थ कृत्रिम तरीके से विकसित की गई बौद्धिक क्षमता है, यह एक ऐसी तकनीक है, जिसमें एक कम्प्यूटर अपने प्रोग्राम में दिए जा रहे है निर्देशों को समझने के बाद उन्हें संरक्षित करता है, और उसके आधार पर भविष्य की जरूरतों को समझते हुए निर्णय लेता है, तथा उसके अनुसार कार्य करता है इसके माध्यम से अब मशीनों के बीच संवाद करना संभव हो गया है इस तकनीक के अंतर्गत स्पीच रिकग्निशन विजुअल परसेप्शन, लैंग्वेज आइडेंटीफिकेशन और डिसिजन मेकिंग आदि का वर्णन किया जा सकता है।

इस तकनीक के जनक जॉन मैकार्थी हैं। इस तकनीक ने रोबोटिक्स क्षेत्र में क्रांति ला दी। इसके माध्यम से कम्प्यूटर सिस्टम या रोबोटिक सिस्टम तैयार किया जाता है। जिसे उन्हीं तर्कों के आधार पर संचालित करने की कोशिश की जाती है। जिसके आधार पर मानव मस्तिष्क कार्य करता है। यह पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक सीमित स्मृति आत्म चेतन एवं मस्तिष्क सिद्धांत पर कार्य करता है।

कृत्रिम बुद्धिमता का विकास :- यद्यपि कृत्रिम बुद्धिमता का जनक जॉन मैकार्थी को कहा जाता है। लेकिन इनके दोस्तों मर्विन मिंसकी हर्बर्ट साइमन, ऐलेन नेवेल आदि ने भी इस शोध कार्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस तकनीक का विकास 1950 के दशक में ही प्रारंभ हो गया था। लेकिन इसकी महत्ता को 1970 के दशक में पहचान मिली। जब जापान ने सर्वप्रथम इसकी पहल की और वर्ष 1981 में फिफ्थ जनरेशन नामक योजना की शुरुआत की थी। इसमें सुपर कम्प्यूटर के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम की रुपरेखा प्रस्तुत की गई थी।

ब्रिटेन ने इसके लिए "एल्वी" नाम का एक प्रोजेक्ट बनाया। यूरोपीय संघ ने भी इस संदर्भ में "एस्प्रिट" नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की। वर्ष 1983 में कुछ निजी संस्थाओं ने मिलकर कृत्रिम बुद्धिमता पर लागू होने वाली उन्नत तकनीकों जैसे वेरी लार्ज स्केल इंटिग्रेटेड सर्किट का विकास करने के लिए एक माइक्रो इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्प्यूटर टेक्नालॉजी की स्थापना की।

कृत्रिम बुद्धिमता के प्रकार :- कृत्रिम बुद्धिमता के प्रकार निम्नलिखित है –

प्रकार टाइप 1. रिएक्टिव मशीन :- यह मशीन स्थितियों पर प्रतिक्रिया कर सकती है। ऐसी मशीनों में मैमोरी की कमी होती है। यह सभी संभावित विकल्पों का विश्लेषण करती है और सर्वश्रेष्ठ को चुनती है।

प्रकार 2. :- सीमित मैमोरी :- यह भविष्य के लोगों को सूचित करने के लिए पिछले अनुभवों का उपयोग करने में सक्षम होती है। उदाहरण – सेल्फ ड्राइविंग कार हो सकती हैं।

प्रकार 3. मन का सिद्धान्त :- यह दूसरों को समझने के लिए संदर्भित करता है इस प्रकार का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी तक उपलब्ध नहीं है।

इसलिए वन गांवों में आदिवासियों के रहने की स्थिति बहुत ही दयनीय है। जबकि वन गांवों को राजस्व गांवों में बदलने के प्रयास जारी हैं, 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सभी 3,000 वन गांवों का विकास इस तरह के रूपांतरण की प्रतीक्षा किए बिना करने का निर्णय लिया गया था। रुपये की औसत लागत पर विकास की योजना बनाई गई थी। रुपये की कुल लागत पर प्रति वन गांव 15 लाख। 450 करोड़।

जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जनजातीय भूमि के अलगाव जैसे विभिन्न मुद्दों को कवर करते हुए एक राष्ट्रीय जनजातीय नीति का मसौदा तैयार किया है; जनजातीय-वन इंटरफेस; विस्थापन, पुनर्वास और पुनर्वास; मानव विकास सूचकांक में वृद्धि; महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का निर्माण; हिंसक अभिव्यक्तियाँ; विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीटीजी) का संरक्षण और विकास; जनजातीय उप-योजना रणनीति को अपनाना; अधिकारिता; लिंग समानता; गैर-सरकारी संगठन के समर्थन को सूचीबद्ध करना; जनजातीय संस्कृति और पारंपरिक ज्ञान; जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन; नियामक और सुरक्षात्मक व्यवस्था; जनजातियों का समय-निर्धारण और डी-शेड्यूलिंग, आदि। मसौदा नीति को मंत्रालय की वेबसाइट के माध्यम से जनता के लिए उपलब्ध कराया गया था और प्रतियां केंद्रीय मंत्रियों को भेजी गई थीं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारें, केंद्रीय मंत्रालय/

संबंधित विभाग शिक्षाविद, मानवविज्ञानी, सामाजिक कार्यकर्ता, जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए काम करने वाले विशेषज्ञ और अन्य हितधारकों से विचार, टिप्पणियां और सुझाव आमंत्रित करते हैं। मंत्रालय को विभिन्न हितधारकों से उत्साहजनक प्रतिक्रिया मिली है और इसकी जांच की प्रक्रिया में है और राष्ट्रीय जनजातीय नीति के मसौदे को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने की उम्मीद है।

निष्कर्ष: केंद्र सरकार और राज्य सरकारें अनुसूचित जनजातियों के उत्थान के लिए सेवाओं में आरक्षण, जनजातीय उप-योजनाओं, केंद्रीय योजनाओं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं आदि जैसी योजनाओं/कार्यक्रमों को लागू कर रही हैं। आजादी की उपलब्धि के बाद अनुसूचित जनजातियों के लिए वांछित विकास लक्ष्यों, भारत ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में तेजी से प्रगति की है, अर्थात। उद्योग, कृषि, परिवहन, संचार, स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा, आदि। हालांकि, आदिवासियों को इस विकास से सबसे कम लाभ हुआ है। वे आज भी गरीबी और अभाव का जीवन जी रहे हैं। समावेशी विकास का लक्ष्य यह मांग करता है कि अब तक उपेक्षित आदिवासी लोगों की उचित देखभाल की जाए ताकि वे भी देश को मजबूत और समृद्ध बनाने में अपना योगदान दे सकें।

आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा

एक देश की अपनी सीमाओं के अंदर की सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा है। इसमें अपने अधिकार क्षेत्र में शांति, कानून और व्यवस्था तथा देश की प्रभुसत्ता बनाए रखना मूलरूप से अंतर्निहित है। बाह्य सुरक्षा से आंतरिक सुरक्षा कुछ मायनों में अलग है, क्योंकि विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा प्रदान करना बाह्य सुरक्षा है। बाह्य सुरक्षा की जिम्मेवारी देश की सेना की है, जबकि आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेवारी पुलिस के कार्य क्षेत्र में आती है, जिसमें केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा मदद प्रदान की जाती है।

भारत में आंतरिक सुरक्षा का उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय का और बाह्य सुरक्षा की जिम्मेदारी रक्षा मंत्रालय की है। कई देशों में गृह मंत्रालय को आंतरिक मामलों का मंत्रालय भी कहा जाता है।

खतरों का वर्गीकरण

कोटिल्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है कि एक राज्य को चार प्रकार के खतरों का जोखिम हो सकता है:

> आंतरिक

> बाह्य

> आंतरिक सहायता प्राप्त बाह्य

> बाह्य सहायता प्राप्त आंतरिक

भारत की आंतरिक सुरक्षा को कौटिल्य द्वारा बताये गये उपर्युक्त चारों प्रकार के खतरे हैं। बदलता बाह्य परिवेश भी हमारी आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करता है। श्रीलंका, पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल

और म्यांमार में होने वाली घटनाएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हमारी आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करती हैं। इसलिए आज के सूचना और डिजिटल युग में देश की सुरक्षा के आंतरिक अथवा बाह्य खतरे दोनों एक-दूसरे से आपस में जुड़े हैं। उन्हें एक-दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता।

द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात्, 39 राज्यों को विखंडित किया गया था। इनमें से पांच राज्यों को विदेशी आक्रमण के कारण विखंडित किया गया था, जबकि 34 राज्यों को अपनी आंतरिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम में विफल रहने के कारण विखंडित किया गया था। इसने या तो उन राज्यों की संप्रभुता का नुकसान किया, उनका विखंडन किया, संवैधानिक तंत्र को ठप कर दिया, गृह युद्ध भड़काया, हिंसा के जरिये सत्ता परिवर्तन कराया या सैन्य तख्ता पलट हुआ । इन विफलताओं के कई जटिल कारण थे, लेकिन उन सब राज्यों में आंतरिक सुरक्षा का मुद्दा आम बात थी।

पिछले कुछ वर्षों से हमारी आंतरिक सुरक्षा का खतरा कई गुना बढ़ गया है। आंतरिक सुरक्षा की समस्या ने हमारे देश के विकास और प्रगति को प्रभावित करना प्रारम्भ कर दिया है और यह अब सरकार की मुख्य चिंताओं में से एक है।

इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि संघ लोक सेवा आयोग ने वर्ष 2013 से सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में आंतरिक सुरक्षा को एक अलग विषय के रूप में शामिल किया है।

- **आंतरिक सुरक्षा के अवयव**

आंतरिक सुरक्षा के मुख्य अवयव हैं,

- देश की सीमाओं की अखंडता एवं आंतरिक प्रभुसत्ता का संरक्षण
- देश में आंतरिक शांति बनाए रखना
- कानून व्यवस्था बनाए रखना
- विधि का कानून और कानून के समक्ष एकरूपता – बिना भेदभाव के सभी को देश के कानून के अनुसार न्याय
- डर से मुक्ति, संविधान में व्यक्ति को दी गई स्वतंत्रता का संरक्षण शांतिपूर्ण सहअस्तित्व एवं सांप्रदायिक सद्भाव

आंतरिक सुरक्षा के लिए मुख्य चुनौतियां

भारत की स्वतंत्रता के साथ ही आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कुछ समस्याएं भी सामने आईं । जम्मू एवं कश्मीर राज्य के भारत में विलय के समय से ही आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी कुछ समस्याएं उत्पन्न हो गई थीं। आज़ादी के समय हुए बंटवारे के दौरान अप्रत्याशित हिंसा हुई जिसमें लाखों लोग मारे गए। इस प्रकार सांप्रदायिकता की समस्या रूपी राक्षस आज़ादी के दौरान ही सक्रिय हो गया जो बाद में दंगों के रूप में बार-बार सामने आता रहा है ।

मुख्य चुनौतियां

1. भीतरी प्रदेशों में फैलता आतंकवाद
2. जम्मू-कश्मीर में उग्रवाद
3. पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह
4. वामपंथी उग्रवाद
5. संगठित अपराध और आतंकवाद के साथ इनका गठजोड़
6. सांप्रदायिकता
7. जातीय तनाव
8. क्षेत्रवाद एवं अंतर-राज्य विवाद
9. साइबर अपराध एवं साइबर सुरक्षा
10. सीमा प्रबंधन
11. तटीय सुरक्षा

भाषाई उपद्रवों, राज्यों के आपसी विवादों, धार्मिक एवं जातीय वैमनस्य इत्यादि कारणों से कई वर्षों से भारत की आंतरिक समस्याएं कई गुना बढ़ गई हैं। 1956 में भाषाई उपद्रवों के कारण देश को भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए बाध्य होना पड़ा।

1950 के दशक में पूर्वोत्तर राज्यों में अशान्ति फैली, 1954 में नागालैंड में फिजो ने विद्रोह का झंडा उठाया और बाद में यह विद्रोह मिज़ोरम, मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्यों में भी फैल गया।

1960 के दशक के अंतिम चरण में नक्सलवाद के रूप में एक नई समस्या सामने आई। स्वतंत्रता के समय भारत एक अल्प विकसित देश था और हमने देश के नवनिर्माण का कार्य प्रारम्भ किया था। विकास और तरक्की की जो प्रतिकृति हमने

अपनाया वह समतामूलक एवं सर्वव्यापी विकास का था, परंतु समय के साथ यह स्पष्ट हो गया है कि हम गरीबी हटाने, बेरोज़गारी की समस्या हल करने और देश के कई दूरस्थ क्षेत्रों का विकास करने में असफल रहे हैं। इस स्थिति का कई लोगों द्वारा गलत फायदा उठाया गया और माओवाद/नक्सलवाद / वामपंथी उग्रवाद के रूप में देश की आंतरिक सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। वर्ष 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री ने यह स्वीकार भी किया था कि देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए नक्सलवाद सबसे बड़ा खतरा है।

1980 के दशक में पड़ोसी देश द्वारा प्रयोजित पंजाब का उग्रवाद देखने को मिला। पंजाब में उग्रवाद का बहुत ही घातक स्वरूप देखने को मिला। इस आंदोलन को चलाने के लिए पड़ोसी शत्रु देश से सहायता मिल रही थी। 1990 के दशक में कश्मीर में फिर से राष्ट्र विरोधी बाह्य ताकतों द्वारा समर्थित आतंकवाद का दौर प्रारम्भ हुआ जो कि पिछले एक दशक के दौरान पूरे देश में फैल चुका है। अखिल भारतीय आतंकवाद का महत्त्व 26 / 11 मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है। इसके बाद केन्द्र ने आतंकवादरोधी तंत्र को मजबूत करने लिए कई ठोस कदम उठाने प्रारम्भ किए।

अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों / माफिया संगठनों ने संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच गठजोड़ स्थापित कर इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को और बढ़ावा दिया है। इनका धन एकत्रित करने और काम करने का तरीका मुख्य रूप से हथियारों की तस्करी, ड्रग्स की तस्करी, लेन-देन, काले धन को वैध करने (मनी लांड्रिंग) और देश के विभिन्न भागों में जाली भारतीय मुद्रा नोटों को चलाना था।

साइबर सुरक्षा हमारे लिए नवीनतम चुनौती है। हम साइबर युद्ध के निशाने पर हो सकते हैं। हमारे महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठान अब पूरी तरह से साइबर पद्धति पर आधारित हैं जिन्हें खतरा हो सकता है। साइबर हमलों को रोकने की अक्षमता हमारी अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए घातक हो सकती है। 2013 के विकीलीक्स इसका एक सजीव उदाहरण है। इंटरनेट और मोबाइल संचार में हुई अभूतपूर्ण क्रांति से यह बात सामने आई है कि सामाजिक मीडिया दुष्प्रचार करने और हिंसा को हवा देने में एक खतरनाक भूमिका निभा सकता है। 2012 में पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थियों का दक्षिण राज्यों से पलायन और वर्ष 2013 में मुज़फ्फरनगर के जातीय दंगे ऐसे कुछ उदाहरण हैं, जो स्पष्ट करते हैं कि कुछ समस्याओं में वृद्धि तेज़ी से बढ़ रही संचार प्रणालियों का दुष्परिणाम है।

चूंकि युद्ध का परंपरागत तरीका मनचाहा नतीजा देने में सक्षम नहीं है, ऐसे में हमारे दुश्मन अन्य उपायों के जरिये अपने नापाक मंसूबों को पूरा करेंगे। वे राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए नागरिक समाज को निशाना बनाएंगे और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और साम्प्रदायिक कमियों खामियों का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। मनोवैज्ञानिक युद्धों का उपयोग करते हुए अवधारणा की लड़ाइयों की मुहिम छेड़ देंगे । चूंकि युद्ध का परंपरागत तरीका मनचाहा नतीजा देने में सक्षम नहीं है, ऐसे में हमारे दुश्मन अन्य उपायों के जरिये अपने नापाक मंसूबों को पूरा करेंगे। वे राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए नागरिक समाज को निशाना बनाएंगे और सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और साम्प्रदायिक कमियों खामियों का अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करेंगे। मनोवैज्ञानिक युद्धों का उपयोग करते हुए अवधारणा की लड़ाइयों की मुहिम छेड़ देंगे।

इसे चौथी पीढ़ी का युद्ध कहा जा सकता है, जहां स्वयं नागरिक समाजों से नये रंगरूट को भर्ती कर और उसको नष्ट कर देने के लक्ष्य के साथ नागरिक समाज को ही युद्धस्थल बनाया जाएगा। अब भूमि को जीतने के विचार के बजाय मनोवैज्ञानिक अभियानों के जरिये नागरिक समाजों के मन-मस्तिष्क पर नियंत्रण करना प्रमुख हो गया है। यह माना जाने लगा है कि जो नागरिक समुदायों पर प्रभुत्व जमा लेगा, अंततः वही दुनिया पर भी राज करेगा। दूसरी बड़ी समस्या है कि इन समूहों के पास अपना वैश्विक संजाल (नेटवर्क) का होना है। इनके विपरीत भारतीय पुलिस को इसे लेकर काफ़ी संघर्ष का सामना करना पड़ता है, जो राष्ट्रीय स्तर पर ही नेटवर्किंग मामले में बहुत कठिनाई अनुभव करती है ।

हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए सीमा प्रबंधन एक महत्त्वपूर्ण पहलू है। एक कमजोर सीमा प्रबंधन

विभिन्न सीमाओं से आतंकवादियों, अवैध अप्रवासियों की घुसपैठ और हथियारों, ड्रग्स और जाली मुद्रा की तस्करी में सहायक हो सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में अवैध प्रवासियों के खिलाफ घटनाओं में वृद्धि हुई है। यह सुरक्षा की एक गंभीर समस्या है जिसका अभी हमें संतोषजनक हल खोजना है, चाहे वह समाधान राजनीतिक हो या सामाजिक या फिर आर्थिक । हमारी सुरक्षा को लेकर कुछ गैर-परम्परागत, गैर-सैन्य समस्याएं भी हो सकती हैं जैसे-प्राकृतिक आपदा, महामारी, ऊर्जा और पानी की कमी, खाद्यान्न सुरक्षा, संसाधनों की कमी, गरीबी, आर्थिक असमानताएं इत्यादि । परन्तु इन्हें इस पुस्तक में सम्मिलित नहीं किया गया है।

आंतरिक सुरक्षा की समस्या के लिए जिम्मेदार कारक

हमारी आंतरिक सुरक्षा की समस्याओं के लिए विभिन्न ऐतिहासिक और गैर-ऐतिहासिक पृष्ठभूमियाँ हैं। इनके बारे में विस्तार से आगामी अध्यायों में चर्चा की गई है। हालांकि कुछ मूल कारण नीचे वर्णित हैं:

1. शत्रु पड़ोसी
2. गरीबी
3. बेरोजगारी
4. असमान व असंतुलित विकास
5. अमीरी-गरीबी के मध्य बढ़ती खाई
6. प्रशासनिक मोर्चों पर विफलता या सुशासन का अभाव.
7. सांप्रदायिक वैमनस्य में वृद्धि
8. जातिगत जागरुकता और जातीय तनाव में वृद्धि
9. सांप्रदायिक, जातीय, भाषायी या अन्य विभाजनकारी मापदंडों पर आधारित विवादास्पद राजनीति का उदय
10. कठिन भूभाग वाली खुली सीमाएं
11. कमजोर आपराधिक न्यायिक व्यवस्था, भ्रष्टाचार के कारण अपराधियों, पुलिस एवं राजनेताओं के बीच सांठगांठ, जिस कारण संगठित अपराधों का बेरोकटोक होना आज़ादी के समय से ही पहले तीन कारक हमें विरासत में मिले। हम इन तीनों मुद्दों को तो हल करने में असफल रहे ही हैं, दुर्भाग्य से कई नए मुद्दे भी इसमें शामिल हुए हैं, जिससे हमारी आंतरिक सुरक्षा की समस्या कई गुना बढ़ गई है। उपर्युक्त सूची में चौथे, पांचवें और छठे कारक प्रशासनिक विफलताओं और सातवां, आठवां व नौवां दलगत राजनीति के कारण हो सकता है। अंतिम कारक के लिए शासकीय अक्षमता को जिम्मेदार ठहरा सकते हैं। इन कारकों के कारण प्रत्येक समस्या और उभरकर सामने आई हैं और शत्रु पड़ोसी अपना हित साधने के लिए हमारी आंतरिक स्थितियों का फायदा उठाने का कोई भी अवसर नहीं छोड़ते । पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की भारत में हजारों तरीकों से खूनखराबा करने की घोषित नीति है।

आंतरिक सुरक्षा सिद्धांत

हमें उपयुक्त आंतरिक सुरक्षा सिद्धांतों की आवश्यकता है जो कि निम्नलिखित व्यापक घटकों पर आधारित हो सकते हैं:

- राजनैतिक
- सामाजिक-आर्थिक
- प्रशासनिक
- पुलिस / केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल
- आसूचना (इंटेलीजेंस)
- केन्द्र राज्य समन्वय -
- सीमा प्रबंधन
- साइबर सुरक्षा

1.राजनैतिक: सर्वप्रथम हमारे लिए चुनौती के स्वरूप को जानना आवश्यक है कि वो अलगाववादी है, क्षेत्रीय है या कोई अन्य है। हमें इनके कारणों का विश्लेषण कर यह देखना होगा कि क्या मांगें संविधान के दायरे में हैं। सिद्धांत के तौर पर एक अलगाववादी आंदोलन को सख्ती के साथ समाप्त करना चाहिए। अलगाववादी तत्त्वों से निपटने के लिए हमारी नीति स्पष्ट व कानून कड़ा होना चाहिए। क्षेत्रीयतावादियों के प्रति अपेक्षाकृत कुछ नरम दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इसी तरह धर्म या जाति संबंधित मांगों को, जब तक कि वे अत्यधिक विखंडनकारी न हो, सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया मिलनी चाहिए।

2. सामाजिक आर्थिक: सामाजिक आर्थिक देश के लिए खतरा बने कई आंदोलनों की पृष्ठभूमि में सामाजिक एवं आर्थिक कारक होते हैं। कई बार

सामाजिक-आर्थिक समस्याएं बहुत असली होती हैं जिनकी जड़ में गरीबी, बेरोजगारी या विस्थापन होता है। ऐसे मामलों में सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का विश्लेषण कर सुनियोजित तरीके से, बिना भेदभाव निवारण सुनिश्चित करना चाहिए, जिससे समाज के सभी वर्गों को योजना का लाभ बराबर मिल सके सबका विकास हो सके ।

3. प्रशासनिक: *कई बार सुशासन की कमी भी राष्ट्र विरोधी तत्त्वों के लिए वरदान साबित होती है। ये लोग कुप्रबंधन, सरकारी योजनाओं में भ्रष्टाचार, दूरस्थ क्षेत्रों में शासनतंत्र की कमी, तथा कानून का सही तरीके से लागू न होना आदि का भरपूर उपयोग करते हैं। हमें देखना होगा कि क्या प्रशासनिक तंत्र कुछ क्षेत्रों में सचमुच अक्षम हो गया है? यदि हाँ, तो शासन में सुधार करना होगा। देश की अपराधिक न्याय प्रणाली का पुनरुत्थान करने और कानून प्रवर्तन तंत्र की क्षमताओं को बढ़ाने और उन्नत करने की आवश्यकता है। पुलिस सहित सिविल सेवा तंत्र को बाहरी राजनीतिक प्रभावों से दूर रखना चाहिए । सुशासन प्रदान करना सरकार का कर्तव्य है। भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार और विकास साथ-साथ नहीं चल सकते।*

४. पुलिस / *केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल: यह देखा गया है कि कई बार पुलिस अत्याचार के आरोप और लोगों की समस्याओं के प्रति पुलिस की संवेदनहीनता पर मतभेद, आंतरिक सुरक्षा की समस्या बढ़ाते हैं। इससे यह देखा गया है कि कई बार पुलिस और सुरक्षा बलों के खिलाफ आंदोलन किए जाते हैं। अफसपा (एएफएसपीए) इनमें से एक उदाहरण है। पुलिस को संयमित होने की जरूरत है और इसके जन-सहयोगी बनाने की जरूरत है। हमें पुलिस सुधार करने की आवश्यकता है ताकि पुलिस निष्पक्ष, पारदर्शी और व्यवहारिक बन सकें। स्थानीय हालात की समझ और क्षमताओं को भी बढ़ाने की आवश्यकता है। केंद्रीय सशस्त्र बलों और राज्य पुलिस में परस्पर समन्वय और से आंतरिक सुरक्षा के लक्ष्य को हासिल करने की जरूरत है ।*

5. आसूचना: *आसूचना आंतरिक सुरक्षा का महत्त्वपूर्ण अंग है। हमें आंतरिक और बाह्य शत्रुओं से सावधान रहने की जरूरत है जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा खड़ा कर रहे हैं। अधिकतर मुख्य ऑप्रेशन आसूचनाओं के आधार पर किए गए हैं। हमें समय से सचेत रहने, आसन्न खतरों को निष्क्रिय करने और आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक कदम उठाने के लिए, रक्षात्मक के साथ-साथ आक्रामक इंटेलिजेंस की भी आवश्यकता है। विभिन्न एजेंसियों से प्राप्त आसूचनाओं को इकट्ठा करने, उनका परस्पर मिलाप करने और फिर प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई के लिए नियमित संस्थागत ढ़ाचे की भी जरूरत है। इस दिशा में मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) ने अच्छा कार्य करना शुरू किया है ।*

6. केंद्र-राज्य समन्वय: *केन्द्र राज्य के बीच समन्वय के अभाव ने भी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित कई समस्याओं को बढ़ाया है। इंटेलीजेंस से लेकर ऑप्रेशन तक सभी जगह समन्वय की समस्या है। हमें एक ऐसा संस्थागत ढांचा तैयार करने की आवश्यकता है, जो केन्द्र और राज्यों के बीच समन्वय की समस्याओं को सुलझा सके और सभी स्तरों पर आपसी सहयोग सुनिश्चित कर सके।*

7. सीमा प्रबन्धन: *हमारे देश की लगभग 15,000 किलोमीटर लम्बी जमीनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं छः देशों से लगती हैं। हम हमारी जमीनी सीमाओं के तीन तरफ लगने वाले देशों- चीन, पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान में बांग्लादेश) के साथ लड़ाई लड़ चुके हैं। पंजाब और कश्मीर की सीमाओं से घुसपैठ, बांग्लादेश से अवैध अप्रवास और इंडो-म्यांमार सीमाओं से हथियारों की तस्करी की समस्याओं से भी हम जूझ चुके हैं। कश्मीरी उग्रवादी पाक अधिकृत कश्मीर में शरण लेते हैं जबकि उत्तर-पूर्व के दहशतगर्द बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार में शरण लेते रहे हैं। इसलिए हमें आतंकवादियों की घुसपैठ, अवैध प्रवासन, हथियारों और ड्रग की तस्करी आदि रोकने के लिए, हमारी जमीनी सीमाओं की निगरानी प्रभावी रूप से करने की जरूरत है। तटीय सुरक्षा की ओर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि नौसेना, कोस्ट गार्ड एवं कोस्टल पुलिस का रोल सुस्पष्ट और आपस में कार्य करने में सद्भाव एवं तालमेल होना चाहिए ।*

8. साइबर सुरक्षाः 2013 (विकीलीक्स) स्नोडन के खुलासे से स्पष्ट होता है कि भविष्य के युद्ध, पारंपरिक नहीं होगें, जो कि जल-थल और नभ में लड़े जाते हैं। वास्तव में यह माना जाता है कि 21वीं सदी में साइबर स्पेस ही युद्ध क्षेत्र होगा। इसलिए इस पहलू से निपटने के लिए आंतरिक सुरक्षा के लिए ठोस सिद्धांत की जरूरत होगी। भारत ने अभी इस दिशा में कार्य करना आरम्भ ही किया हैं। हमें इस पर बहुत अधिक कार्य करने की जरूरत हैं, ताकि हम कह सकें कि हमारे पास सुरक्षित साइबर स्पेस हैं।

भारत की बाह्य सुरक्षा : मुख्य मुद्दे

हालांकि यह पुस्तक आंतरिक सुरक्षा के बारे में हैं, परंतु कई मुद्दे एक दूसरे पर निर्भर हैं। अभ्यर्थियों को बाहरी सुरक्षा मोर्च से संबंध रखने वाले मुख्य मुद्दों के संबंध में भी जानकारी होनी चाहिए। संगठित अपराधों और आतंकवाद जैसे ट्रांस-सीमा मुद्दों की प्रकृति, अनियंत्रित प्रवास की चुनौती और समाज में मूलभूत परिवर्तन संगठित हैं, जिन्होंने बाहरी और आंतरिक सुरक्षा विभेद की सीमाओं को धुंधला कर दिया है।

बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर, भारत दो प्रमुख चुनौतियों का सामना करता है। पहली, पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर और दूसरी, चीन से लगी सीमा पर | भारतीय सेनाध्यक्ष ने 2018 में कहा भी था, "भारत को ढाई मोर्चे पर" चुनौतियां हैं। इसमें आधे मोर्चे से सेनाध्यक्ष का तात्पर्य आतंकवाद, आंतरिक सुरक्षा और छद्म युद्ध के मोर्चे से था।

भारत की बाह्य सुरक्षा को चुनौतियां –

1. पड़ोसी देशों से चुनौतियां
2. मध्य-पूर्व की घटनाएं
3. समुद्री सुरक्षा
4. अंतरिक्ष का सैन्यीकरण
5. साइबर स्पेस से खतरा
6. दुर्लभ संसाधनों जैसे ऊर्जा और सामरिक खनिज हेतु प्रतिस्पर्धा का गहराना

पड़ोसी देशों से चुनौतियां

भारत एक वृहद भौगोलिक राष्ट्र राज्य है, जो कि कई देशों के साथ भू और समुद्री सीमा साझा करता है। ये पड़ोसी देश भारत के साथ निरंतर मैत्री संबंध बरकरार नहीं रखते। नीति और उपयोगिता इन देशों के साथ व्यवहार की प्रकृति को निर्देशित करती है।

भारत की विदेश नीति की दुखती रग सदा से इसका अपने पड़ोसी देशों के साथ खराब संबंध रही है जिसकी सीमा इसके दो बड़े पड़ोसी देशों, चीन और पाकिस्तान के साथ खराब संबंध से लेकर श्रीलंका के साथ खराब नहीं, परन्तु जटिल संबंधों (मालदीव के साथ बढ़ते) और बांग्लादेश, म्यांमार या नेपाल के साथ गहरे संबंध और भूटान के साथ नाजुक समीकरण तक है। ?

1947 में प्रादेशिक बंटवारे से जिसमें भारत और पाकिस्तान का निर्धारण किया, दोनों राष्ट्रों के बीच कई मुख्य मुद्दों पर असहमती के कारण तनावपूर्ण संबंध रहे हैं; जैसे- कश्मीर पर नियंत्रण, आतंकवाद सुभेद्य सीमा के माध्यम से घुसपैठ । चीन आक्रामक विस्तार की अपनी नीति को सक्रिय रूप से आगे बढ़ता है।

बांग्लादेश और श्रीलंका दोनों से भारत ने समय-समय पर अपने भू-भाग में शरणार्थियों के आने और इसके कारण जातीय संघर्षो का सामना किया है, जो कि आमतौर पर इन देशों में अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न के कारण होता है। उदाहरण के लिए भारत ने बांग्लादेश और श्रीलंका से आने वाले क्रमशः चकमा और तमिल शरणार्थियों को शरण दी है।म्यांमार भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है क्योंकि यह आर्थिक क्षेत्र का एक अपना दायरा बनाते हुए दक्षिण-पूर्व एशिया में चीन की मौजूदगी का मुकाबला करता है।

भारत और नेपाल मित्रता और सहयोग का एक अनोखा संबंध सांझा करते हैं, जिसकी मुख्य विशेषताएं खुली सीमाएं और राजनयिक व संस्कृति का लोगों का एक-दूसरे से गहरा संबंध हैं। परंतु, हाल ही में मधेशी आधारित दलों और अन्य समूहों द्वारा विरोध प्रदर्शनों के बीच 20 सितम्बर 2015 को नेपाल की दूसरी संविधान सभा ने एक संविधान प्रख्यापित किया। भारत सरकार

ने चल रहे विरोध प्रदर्शनों के संबंधों में गहरी चिंता व्यक्त की और नेपाल सरकार से सभी मुद्दों को एक विश्वसनीय राजनैतिक बातचीत द्वारा सुलझाने हेतु प्रयास करने के लिए अनुरोध किया है।

भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय संबंध मैत्रीय रहे हैं और सामरिक, आर्थिक और सैन्य सहयोग में काफी निकट संबंध है। परंतु वर्तमान में भारत और मालदीव के बीच राजनायिक और वाणिज्यिक रिश्ते सबसे ज्यादा खराब हैं, जब से एक तख्ता पलट ने भूतपूर्व राष्ट्रपति नाशिद को पदच्युत कर दिया। वाहिद हसन को सत्ता में ले आया और उसके पश्चात् जीएमआर द्वारा निर्मित हवाई अड्डे के संबंध में विवाद उपज गया। यहां यह बताना महत्त्वपूर्ण है कि एक 100 प्रतिशत सुन्नी राष्ट्र होने के बावजूद मालदीव हाल की घटनाओं तक इस्लामी कट्टरवाद के उदय से इतना प्रभावित नहीं था। पिछले कुछ वर्षों से, मालदीव के लोग पाकिस्तान के मदरसों और जिहादी समूह की ओर बड़ी संख्या में आकर्षित हो रहे हैं।

- **मध्य-पूर्व**

भारत और मध्य-पूर्व के बीच प्राचीन काल से ही सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक आदानप्रदान फला-फूला है। यह संबंध आधुनिक युग में भी जारी रहा है, भारत ने मिस्र के साथ एक मज़बूत रिश्ता बनाया है, विशेष रूप से जब से दोनों देश शीत युद्ध के दौरान गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक बने। भारत ने ईराक, ईरान, सीरिया और खाड़ी देशों के साथ द्विपक्षीय संबंध तब से बरकरार रखें हैं, जब क्षेत्र में मसालों के व्यापार में अरब का दबदबा था।

वर्तमान में मध्य-पूर्व के सुरक्षा और राजनीतिक हालात काफी अस्थिर हैं। इसे एक चेतावनी के तौर पर लेकर, पांच लघु से मध्यम अवधि की चुनौतियों की कल्पना की जा सकती है।

1. यहां तक कि पांच वर्षों के बाद भी, अरब स्प्रिंग को लिखने के लिए बहुत जल्द शुरू हो गया है और अरब के बदलाव की वजह से जो उसके पाठ्यक्रम को नहीं चला है। एक सर्वसमावेश रूपरेखा की कमी के बावजूद, अलग-अलग अरब देशों को एक ऐसा प्रारूप विकसित करना होगा, जो अपनी सामाजिक और जनसांख्यिकीय विशिष्टता को दर्शाता है। कोई देश अन्य दूसरे के लिए उपयुक्त मॉडल को प्रभावित या निर्धारित नहीं कर सकता है।

2. क्षेत्र में घटता अमेरिकी प्रभाव जारी रहेगा क्योंकि कोई अन्य देश या देशों का समूह वैकल्पिक नेतृत्व प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। कुछ बाहरी शक्तियाँ प्रभाव बनाने की कोशिश करेंगी, परंतु सम्पूर्ण क्षेत्र पर उनका दबदबा नहीं होगा।

3. आईएसआईएस, धार्मिक चरमपंथ और सांप्रदायिक तनाव बने रहने वाले हैं और राजनीतिक हिंसा राज्य की स्थिरता, प्रादेशिक व्यावहार्यता और कुछ मामलों में जीवन क्षमता तक को भी कमजोर बनाए रखना जारी रखेगा।

4. इजरायल- फिलीस्तीन संघर्ष महत्त्वपूर्ण है, परंतु तत्काल समाधान की संभावना नहीं है क्योंकि दोनों पक्षों में विवेक-दूरदृष्टि और राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी है। इसके अतिरिक्त, यह क्षेत्र की मुख्य समस्या नहीं है और अरब और गैर-अरब देशों के फिलिस्तीनियों की राष्ट्रीयता विहीनता के अतिरिक्त चिंतित होने के लिए कई गंभीर समस्याएं हैं।

5. तेल की कीमतों में कमी जारी रह सकती है और यह छोटी और बड़ी दोनों ऊर्जा कंपनियों को प्रभावित करेगा। ईरान प्रतिबंधोत्तर के प्रवेश तथा कीमतों पर और अधिक दबाव डालेगा। कम तेल की कीमत भी सौर ऊर्जा जैसे गैर-हाइड्रोकार्बन ऊर्जा विकल्प के लिए खोज को प्रभावित करती है।

- **समुद्री सुरक्षा में चुनौतियां**

भारत एक समुद्री सीमाओं वाला राष्ट्र है, न केवल ऐतिहासिक परंपरा के कारण परंतु अपने भू-भौतिकीय समाकृति के कारण भी और भू-राजनीतिक परिस्थितियाँ इसे एकद्वीपीय राष्ट्र के रूप में समुद्र पर निर्भर बनाती हैं। समुद्री सीमाओं वाले राज्यों और द्वीपीय प्रदेशों के साथ ही, भारत में संभवतः अधिकांश यूरोपीय देशों की जनसंख्या से अधिक समुद्री लोग हैं। भारत की समुद्री सुरक्षा चुनौतियां निम्न तीव्रता वाले संघर्षों और समुद्री डकैती से लेकर प्रमुख शक्ति सामरिक प्रतिस्पर्धाओं

तक की संपूर्ण सीमा का आवरण करती है। इसकी भौगोलिक विशिष्टता और वैश्विक समुद्री केंद्र बिंदु का संयुक्त अटलांटिक – प्रशांत से भारत – प्रशांत सातत्य खिसकने और भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिदृश्य में हिंद महासागर क्षेत्र के महत्त्व शीत युद्धोत्तर युग और सबसे नवीनतम 9/11 युग में भारी वृद्धि हुई है।

- वस्तुओं, विचारों लोगों और संसाधनों में बढ़ते क्षेत्रीय और वैश्विक व्यापार के कारण पूरे हिन्द महासागर क्षेत्र में बढ़ी हुई गतिविधि ने नवीन समुद्री सुरक्षा चुनौतियों को जन्म दिया है। इनमें समुद्री डकैती, आतंकवाद और मानव दुर्व्यापार सहित गैर-राज्यकर्त्ताओं से बढ़ता खतरा; पर्यावरणीय निम्नीकरण का प्रभाव; संसाधनों का अवक्षय; जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक आपदाएं और कमजोर राज्य और असफल होती संस्थाएं हैं। इन विभिन्न प्रकार की चुनौतियां का सामना इस क्षेत्र की सीमा वाले सभी राष्ट्रों से होता है। ऊर्जा की कमी वाले राष्ट्रों जैसे चीन, भारत और अन्य विकासशील देशों के पास पूरे विश्व से, विशेषकर पश्चिम एशिया से, ऊर्जा संसाधनों का भारी मात्रा में आयात करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। उनकी अर्थव्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए तथा ऊर्जा उत्पादों को प्राप्त करने के लिए समुद्रों पर निर्भरता प्रगतिशील रूप से विकसित हो रही है। यह इन जहाजों और उत्पादों पर भी खतरा पैदा करता है जो समुद्री डाकुओं और गैर-राज्य कर्ताओं द्वारा निशाना बनाए जा रहे हैं।

- ***अंतरिक्ष का सैन्यीकरण***

  शीत युद्ध युग के दौरान, अंतरिक्ष युद्ध का अन्य रंगमंच बने बिना, भूमि पर लड़ाई का आवश्यक सहायक बना। अंतरिक्ष का सैन्यीकरण तेजी से हुआ, परन्तु अंतरिक्ष के सशस्त्रीकरण से बचा गया। क्योंकि शीत युद्ध के दौरान अंतरिक्ष सशस्त्रीकरण से बच गया, इसका अर्थ यह नहीं है कि असमयित युद्ध के नए युद्ध में भी इससे बचाया जाएगा। हम कुछ खतरों के खिलाफ उपग्रहों की सुरक्षा में सुधार कर सकते हैं, परंतु उपग्रह उन अंतरिक्ष हथियारों के आसान लक्ष्य बने रहेंगे जो टकराने पर नष्ट करने के लिए बनाए गए हैं।

  भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की बहुत गहरी नागरिक जड़े हैं, यह भारत को इसके विकास में सहायता करने के साधन के तौर पर प्रारंभ हुआ और इसका मुख्य केन्द्र इसके नागरिकों के दैनिक जीवन में सुधार लाने पर है। हाल ही में भारत ने अपने अंतरिक्ष प्रयासों की शैली में आकस्मिक परिवर्तन किया है। देश ने एक अधिक सैन्यीकरण दृष्टिकोण अपनाया है। जैसा कि भारत ने एक स्वदेशी प्रक्षेपास्त्र रक्षा कार्यक्रम बनाने के वृद्धित प्रयासों द्वारा उदाहरण दिया गया है। भारत के अंतरिक्ष प्रयास अंतरिक्ष की दीर्घकालीन निरंतरता को अत्यंत प्रभावित कर सकते हैं और यह अधिक ध्यान देने योग्य है।

  भारत ने मार्च 2019 में 'शक्ति' प्रक्षेपास्त्र का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इसके बाद वह अमेरिका, रूस और चीन के बाद चौथा ऐसा देश हो गया है, जिसके पास अंतरिक्ष की निचली कक्षा (एलओए) में घूम रहे किसी उपग्रह को मार गिराने की क्षमता है।

साइबर अपराध

सन् 2003 में यूरोपीय संघ की यूरोपीय सुरक्षा रणनीति ने "प्राकृतिक संसाधनों हेतु प्रतिस्पर्धा" को एक वैश्विक चुनौती के रूप में चिन्हित किया। पूर्व संयुक्त राष्ट्र महासचिव काफी अन्नान द्वारा गठित खतरों, चुनौतियों और परिवर्तनों संबंधी उच्च स्तरीय पैनल की 2004 रिपोर्ट के अनुसार, "प्राकृतिक संसाधनों की कमी अशांति और नागरिक हिंसा का कारण बन सकती है। " 2009 में पर्यावरण, संघर्ष और शांति निर्माण संबंधी विशेषज्ञ सलाहकार समूह ने यह ध्यान दिया किया कि "आगामी दशकों में वैश्विक जनसंख्या में वृद्धि के साथ ही संसाधनों की मांग भी बढ़ना जारी रहेगी और प्राकृतिक संसाधनों हेतु संघर्ष की भारी संभावना है। " 21वीं सदी में संसाधनों की कमी को सबसे बड़े सुरक्षा खतरों में से एक माना जाता रहा है।

भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत संसाधन स्रोत और सुरक्षा के बीच जुड़ाव को बाह्य अविर्भाव पाकिस्तान और चीन के साथ करारों से समझा जा सकता है। कुछ सुरक्षा विशेषज्ञों ने बंगाल की खाड़ी और इसमें प्राकृतिक गैस के बड़े भंडारों को भविष्य के सिनो – भारत (Sino-India) संघर्ष का स्रोत माना है। चीन ने बर्मा के साथ एक बड़ा

कर सकते हैं। इन देशों की एकजुटता वक्त की फौरी जरूरत है, यूक्रेन संघर्ष के कारण उत्पन्न खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा सहित विभिन्न वैश्विक चुनौतियों के कारण इन सबको अपनी चिंताएं साझा करनी ही होंगी।

विकासशील देशों की आवाज बनता भारत

विकसित देशों ने संसाधनों के मामले में विकासशील देशों के साथ पारंपरिक रूप से अन्याय ही किया है। इसने दुनिया के इन दोनों ध्रुवों के बीच असमानता की खाई को चौड़ा किया है। दिसंबर में साउथ सेंटर द्वारा जारी 'इलिसिट फाइनेंशियल फ्लोज एंड स्टोलन असेट रिकवरी' अध्ययन में पुनः इसी रुझान की पुष्टि हुई है। ऐसे में विकासशील देशों के हितों की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पैरवी अपरिहार्य हो गई है। इसी दायित्व की पूर्ति के लिए भारत 12 जनवरी से दो दिवसीय 'वाइस आफ ग्लोबल साउथ समिट' का आयोजन करने जा रहा है। इसमें 120 से अधिक देशों के प्रतिनिधि जुटकर एक मंच पर अपना दृष्टिकोण एवं प्राथमिकताओं को साझा करेंगे। इस आयोजन का उद्देश्य विकासशील देशों में सहयोग एवं एकता का भाव बढ़ाना है। भारत हमेशा से विकासशील देशों की आवाज को मुखरता से उठाने के मामले में अग्रणी रहा है। असल में वैश्विक समुदाय में भारत की स्थिति बहुत अनोखी है। विकासशील देशों में गिनती होने के बावजूद भारत विशाल आबादी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था वाला देश है। इससे भारत को अंतरराष्ट्रीय संबंधों विशेषकर विकासशील देशों के संदर्भ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की गुंजाइश मिल जाती है। संप्रति भारत कम से कम तीन स्तरों पर विकासशील देशों की चिंताओं को लेकर आवाज बुलंद कर रहा है। जैसे कि मौजूदा सरकार के दौर में भारत ने अंतरराष्ट्रीय संगठनों और मंचों पर सक्रियता से सहभागिता आरंभ की है। फिर चाहे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता हो या जी-20 की कमान, भारत ने समय के साथ एक नेतृत्वकर्ता का अवतार लिया है। वह विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक सहित तमाम मंचों पर विकासशील देशों के हितों की पुरजोर वकालत कर रहा है।

दूसरा स्तर विकासशील देशों के साथ प्रगाढ़ संबंध बनाने का है। गत वर्षों के दौरान भारत ने तमाम विकासशील देशों विशेषकर अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी देशों के साथ आर्थिक सहयोग एवं सांस्कृतिक आदान-प्रदान के आधार पर मजबूत रिश्ते गांठे हैं। इससे विकासशील विश्व के हितों के पक्ष में माहौल बनाने का उपयुक्त मंच तैयार हुआ है। तीसरा पहलू दक्षिण-दक्षिण सहयोग की कड़ी के रूप में भारत की महारत से जुड़ा है। ऐसे सहयोग में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अहम भूमिका निभाई। वर्ष 2009 में दक्षिण-दक्षिण सहयोग पर आयोजित उच्चस्तरीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के नैरोबी दस्तावेज में भी इसकी स्वीकारोक्ति हुई। बेलग्रेड में 1961 में हुए गुटनिरपेक्ष देशों के पहले सम्मेलन में विकासशील देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत बनाने की स्पष्ट प्रतिबद्धता जताई गई। हालांकि, विकासशील देशों में सहयोग की प्रक्रिया 1968 में तभी जाकर शुरू हो पाई, जब भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया ने व्यापार समझौता किया। वर्ष 1972 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अपने सदस्य देशों और अन्य विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग को स्वीकृति प्रदान की थी। हाल के दौर में विकासशील देशों को कोविड रोधी वैक्सीन उपलब्ध कराना भी दक्षिण-दक्षिण सहयोग के प्रति भारत के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है।

दुनिया में चुनिंदा विकासशील देश ही हैं, जो अन्य विकासशील देशों या अल्पविकसित देशों में निवेश करते हैं। इस प्रकार के निवेश में चीन और भारत अग्रणी हैं, जो अन्य देशों में भी विकास कार्यों को विस्तार दे रहे हैं। हालांकि, चीन कर्ज के जाल में फंसाने के लिए कुख्यात हो चला है। चीन की कर्ज जाल में फंसाने वाली रणनीति कई देशों की संप्रभुता पर आघात करने वाली सिद्ध हुई है। चीन अपनी आर्थिक एवं वित्तीय ताकत का इस्तेमाल बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं के लिए विकासशील देशों को कर्ज की आड़ में लुभाता है और फिर जब वह देश उसके इस जाल में फंस जाता है तो इसका परिणाम वहां चीन के राजनीतिक प्रभाव एवं रणनीतिक लाभ के रूप में

निकलता है। इस चीनी परिपाटी को लेकर चिंता व्यक्त की जाने लगी है कि इससे आर्थिक अस्थिरता और यहां तक कर्जदार देशों के समक्ष दिवालिया होने तक का संकट पनप सकता है। पड़ोस में श्रीलंका और पाकिस्तान ही इस चीनी कर्ज जाल में फंसने के भुक्तभोगी हैं। इसी के चलते श्रीलंका हंबनटोटा बंदरगाह चीन को 99 साल के लिए लीज पर देने को विवश हुआ। पाकिस्तान ने भी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी सीपैक के लिए बीजिंग से भारी-भरकम कर्ज लिया है और यही आशंका जताई जा रही है कि उसके लिए उसकी भरपाई बेहद कठिन होगी। नतीजतन उसे अपने कई रणनीतिक ठिकाने चीन के हाथों गंवाने पड़ सकते हैं। इसी तरह कोविड काल में आर्थिक झंझावात में फंसा इक्वाडोर भी चीनी कर्ज चुकाने में नाकाम रहा।

दूसरी ओर, भारत अपनी हैसियत और प्रभाव का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय समुदाय के बीच विकासशील देशों के हितों की पैरवी और उनमें सहयोग बढ़ाने के लिए करता है। 'वाइस आफ ग्लोबल साउथ समिट' आयोजन भी इसी कड़ी का हिस्सा है। कोविड महामारी के बाद यह दुनिया के अधिकांश देशों के जुटान का पहला बड़ा अवसर है, जहां वे समकालीन चुनौतियों पर चर्चा के लिए जुटेंगे। यह विकासशील देशों के समक्ष चिंताओं और आशंकाओं को सामने रखने का मंच होगा। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही कह चुके हैं कि जी-20 की अध्यक्षता के दौरान भारत की प्राथमिकताएं केवल सदस्य देशों के आधार पर तय नहीं होंगी। उसमें ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों की आवाज का भी समुचित समावेश होगा।

वस्तुतः, महामारी के बाद वाले दौर में दक्षिण-दक्षिण सहयोग और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। दुनिया उससे उबरने और नई वास्तविकताओं से ताल मिलाने में लगी है। ऐसे परिदृश्य में दक्षिण-दक्षिण सहयोग की कड़ी गरीबी के दुष्चक्र, अस्थिरता और आर्थिक असमानता को समाप्त करने में सहायक बनने के साथ ही राष्ट्रीय विकास रणनीतियों को सिरे चढ़ाने में मददगार होगी। इस पूरी प्रक्रिया में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होने जा रही है।

सरकारी नीतियाँ

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई जिसे सभी के परामर्श से तैयार किया गया है। इसे लाने के साथ ही देश में शिक्षा के पर व्यापक चर्चा आरंभ हो गई है। शिक्षा के संबंध में गांधी जी का तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद का कहना था कि मनुष्य की अंर्तनिहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। इन्हीं सब चर्चाओं के मध्य हम देखेंगे कि 1986 की शिक्षा नीति में ऐसी क्या कमियाँ रह गई थीं जिन्हें दूर करने के लिये नई राष्ट्रीय शिक्षा नति को लाने की आवश्यकता पड़ी। साथ ही क्या यह नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति उन उद्देश्यों को पूरा करने में सक्षम होगी जिसका स्वप्न महात्मा गांधी और स्वामी विवेकानंद ने देखा था?

सबसे पहले 'शिक्षा' क्या है इस पर गौर करना आवश्यक है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ होता है सीखने एवं सिखाने की क्रिया परंतु अगर इसके व्यापक अर्थ को देखें तो शिक्षा किसी भी समाज में निरंतर चलने वाली सामाजिक प्रक्रिया है जिसका कोई उद्देश्य होता है और जिससे मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का विकास तथा व्यवहार को परिष्कृत किया जाता है। शिक्षा द्वारा ज्ञान एवं कौशल में वृद्धि कर मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है।

गौरतलब है कि नई शिक्षा नीति 2020 की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। इस नीति द्वारा देश में स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ-साथ पूर्व-विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का लक्ष्य रखा गया है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- अंतिम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में बनाई गई थी जिसमें वर्ष 1992 में संशोधन किया गया था।
- वर्तमान नीति अंतरिक्ष वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट पर आधारित है।
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात (Gross Eurolment Ratio-GER) को 100% लाने का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति के अंतर्गत केंद्र व राज्य सरकार के सहयोग से शिक्षा क्षेत्र पर जीडीपी के 6% हिस्से के सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है।
- नई शिक्षा नीति की घोषणा के साथ ही मानव संसाधन प्रबंधन मंत्रालय का नाम परिवर्तित कर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख बिंदु :-

स्कूली शिक्षा संबंधी प्रावधान

- नई शिक्षा नीति में 5 + 3 + 3 + 4 डिज़ाइन वाले शैक्षणिक संरचना का प्रस्ताव किया गया है जो 3 से 18 वर्ष की आयु वाले बच्चों को शामिल करता है।
- पाँच वर्ष की फाउंडेशनल स्टेज (Foundational Stage) - 3 साल का प्री-प्राइमरी स्कूल और ग्रेड 1, 2
- तीन वर्ष का प्रीपेट्रेरी स्टेज (Prepatratory Stage)
- तीन वर्ष का मध्य (या उच्च प्राथमिक) चरण - ग्रेड 6, 7, 8 और
- 4 वर्ष का उच (या माध्यमिक) चरण - ग्रेड 9, 10, 11, 12
- NEP 2020 के तहत HHRO द्वारा 'बुनियादी साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान पर एक राष्ट्रीय मिशन' (National Mission on Foundational Literacy and Numeracy) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसके द्वारा वर्ष 2025 तक कक्षा-3 स्तर तक के बच्चों के लिये आधारभूत कौशल सुनिश्चित किया जाएगा।

भाषायी विविधता का संरक्षण

- NEP-2020 में कक्षा-5 तक की शिक्षा में मातृभाषा/स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को अध्ययन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। साथ ही इस नीति में मातृभाषा को कक्षा-8 और आगे की शिक्षा के लिये प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है।
- स्कूली और उच्च शिक्षा में छात्रों के लिये संस्कृत और अन्य प्राचीन भारतीय भाषाओं का विकल्प उपलब्ध होगा परंतु किसी भी छात्र पर भाषा के चुनाव की कोई बाध्यता नहीं होगी।

शारीरिक शिक्षा

- विद्यालयों में सभी स्तरों पर छात्रों को बागवानी, नियमित रूप से खेल-कूद, योग, नृत्य, मार्शल आर्ट को स्थानीय उपलब्धता के अनुसार प्रदान करने की कोशिश की जाएगी ताकि बच्चे शारीरिक गतिविधियों एवं व्यायाम वगैरह में भाग ले सकें।

पाठ्यक्रम और मूल्यांकन संबंधी सुधार

- इस नीति में प्रस्तावित सुधारों के अनुसार, कला और विज्ञान, व्यावसायिक तथा शैक्षणिक विषयों एवं पाठ्यक्रम व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच बहुत अधिक अंतर नहीं होगा।
- कक्षा-6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा और इसमें इंटर्नशिप (Internship) की व्यवस्था भी की जाएगी।
- 'राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद' (National Council of Educational Research and Training- NCERT) द्वारा 'स्कूली शिक्षा के लिये राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा' (National Curricular Framework for School Education) तैयार की जाएगी।
- छात्रों के समग्र विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कक्षा-10 और कक्षा-12 की परीक्षाओं में बदलाव किया जाएगा। इसमें भविष्य में समेस्टर या बहुविकल्पीय प्रश्न आदि जैसे सुधारों को शामिल किया जा सकता है।
- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन के लिये मानक-निर्धारक निकाय के रूप में 'परख' (PARAKH)

नामक एक नए 'राष्ट्रीय आकलन केंद्र' (National Assessment Centre) की स्थापना की जाएगी।

- छात्रों की प्रगति के मूल्यांकन तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिये 'कृत्रिम बुद्धिमत्ता' (Artificial Intelligence- AI) आधारित सॉफ्टवेयर का प्रयोग।

शिक्षण व्यवस्था से संबंधित सुधार

- शिक्षकों की नियुक्ति में प्रभावी और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन तथा समय-समय पर किये गए कार्य-प्रदर्शन आकलन के आधार पर पदोन्नति।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा वर्ष 2022 तक 'शिक्षकों के लिये राष्ट्रीय व्यावसायिक मानक' (National Professional Standards for Teachers- NPST) का विकास किया जाएगा।
- राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा NCERT के परामर्श के आधार पर 'अध्यापक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रुपरेखा' [National Curriculum Framework for Teacher Education-NCFTE) का विकास किया जाएगा।
- वर्ष 2030 तक अध्यापन के लिये न्यूनतम डिग्री योग्यता 4-वर्षीय एकीकृत बी.एड. डिग्री का होना अनिवार्य किया जाएगा।

उच्च शिक्षा से संबंधित प्रावधान

- NEP-2020 के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में 'सकल नामांकन अनुपात' (Gross Enrolment Ratio) को 26.3% (वर्ष 2018) से बढ़ाकर 50% तक करने का लक्ष्य रखा गया है, इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा।
- NEP-2020 के तहत स्नातक पाठ्यक्रम में मल्टीपल एंट्री एंड एग्ज़िट व्यवस्था को अपनाया गया है, इसके तहत 3 या 4 वर्ष के स्नातक कार्यक्रम में छात्र कई स्तरों पर पाठ्यक्रम को छोड़ सकेंगे और उन्हें उसी के अनुरूप डिग्री या प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा (1 वर्ष के बाद प्रमाण-पत्र, 2 वर्षों के बाद एडवांस डिप्लोमा, 3 वर्षों के बाद स्नातक की डिग्री तथा 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक)।
- विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों से प्राप्त अंकों या क्रेडिट को डिजिटल रूप से सुरक्षित रखने के लिये एक 'एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट' (Academic Bank of Credit) दिया जाएगा, ताकि अलग-अलग संस्थानों में छात्रों के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें डिग्री प्रदान की जा सके।
- नई शिक्षा नीति के तहत एम.फिल. (M.Phil) कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया।

भारतीय उच्च शिक्षा आयोग

- नई शिक्षा नीति (NEP) में देश भर के उच्च शिक्षा संस्थानों के लिये एक एकल नियामक अर्थात् भारतीय उच्च शिक्षा परिषद (Higher Education Commision of India-HECI) की परिकल्पना की गई है जिसमें विभिन्न भूमिकाओं को पूरा करने हेतु कई कार्यक्षेत्र होंगे। भारतीय उच्च शिक्षा आयोग चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा को छोड़कर पूरे उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक एकल निकाय (Single Umbrella Body) के रुप में कार्य करेगा।
- HECI के कार्यों के प्रभावी निष्पादन हेतु चार निकाय-
- राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामकीय परिषद (National Higher Education Regulatroy Council-NHERC) : यह शिक्षक शिक्षा सहित उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिये एक नियामक का कार्य करेगा।
- सामान्य शिक्षा परिषद (General Education Council - GEC) : यह उच्च शिक्षा कार्यक्रमों के लिये अपेक्षित सीखने के परिणामों का ढाँचा तैयार करेगा अर्थात् उनके मानक निर्धारण का कार्य करेगा।
- राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद (National Accreditation Council - NAC) : यह संस्थानों के प्रत्यायन का कार्य करेगा जो मुख्य रुप से बुनियादी मानदंडों, सार्वजनिक स्व-प्रकटीकरण, सुशासन और परिणामों पर आधारित होगा।
- उच्चतर शिक्षा अनुदान परिषद (Higher Education Grants Council - HGFC) : यह निकाय कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों के लिये वित्तपोषण का कार्य करेगा।
- नोट: गौरतलब है कि वर्तमान में उच्च शिक्षा निकायों का विनियमन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई) और राष्ट्रीय

अध्यापक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) जैसे निकायों के माध्यम से किया जाता है।

- देश में आईआईटी (IIT) और आईआईएम (IIM) के समकक्ष वैश्विक मानकों के 'बहुविषयक शिक्षा एवं अनुसंधान विश्वविद्यालय' (Multidisciplinary Education and Reserach Universities - MERU) की स्थापना की जाएगी।

विकलांग बच्चों हेतु प्रावधान

इस नई नीति में विकलांग बच्चों के लिये क्रास विकलांगता प्रशिक्षण, संसाधन केंद्र, आवास, सहायक उपकरण, उपर्युक्त प्रौद्योगिकी आधारित उपकरण, शिक्षकों का पूर्ण समर्थन एवं प्रारंभिक से लेकर उच्च शिक्षा तक नियमित रूप से स्कूली शिक्षा प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना आदि प्रक्रियाओं को सक्षम बनाया जाएगा।

डिजिटल शिक्षा से संबंधित प्रावधान

एक स्वायत्त निकाय के रूप में "राष्ट्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी मंच" (National Educational Technol Foruem) का गठन किया जाएगा जिसके द्वारा शिक्षण, मूल्यांकन योजना एवं प्रशासन में अभिवृद्धि हेतु विचारों का आदान-प्रदान किया जा सकेगा।

डिजिटल शिक्षा संसाधनों को विकसित करने के लिये अलग प्रौद्योगिकी इकाई का विकास किया जाएगा जो डिजिटल बुनियादी ढाँचे, सामग्री और क्षमता निर्माण हेतु समन्वयन का कार्य करेगी।

पारंपरिक ज्ञान-संबंधी प्रावधान

भारतीय ज्ञान प्रणालियाँ, जिनमें जनजातीय एवं स्वदेशी ज्ञान शामिल होंगे, को पाठ्यक्रम में सटीक एवं वैज्ञानिक तरीके से शामिल किया जाएगा।

विशेष बिंदु

- आकांक्षी जिले (Aspirational districts) जैसे क्षेत्र जहाँ बड़ी संख्या में आर्थिक, सामाजिक या जातिगत बाधाओं का सामना करने वाले छात्र पाए जाते हैं, उन्हें 'विशेष शैक्षिक क्षेत्र' (Special Educational Zones) के रूप में नामित किया जाएगा।
- देश में क्षमता निर्माण हेतु केंद्र सभी लड़कियों और ट्रांसजेंडर छात्रों को समान गुणवत्ता प्रदान करने की दिशा में एक 'जेंडर इंक्लूजन फंड' (Gender Inclusion Fund) की स्थापना करेगा।
- गौरतलब है कि 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिये प्रारंभिक बचपन देखभाल और शिक्षा हेतु एक राष्ट्रीय पाठ्यचर्या और शैक्षणिक ढाँचे का निर्माण एनसीआरटीई द्वारा किया जाएगा।

वित्तीय सहायता

- एससी, एसटी, ओबीसी और अन्य सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित समूहों से संबंधित मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986

- इस नीति का उद्देश्य असमानताओं को दूर करने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों के लिये शैक्षिक अवसर की बराबरी करने पर विशेष ज़ोर देना था।
- इस नीति ने प्राथमिक स्कूलों को बेहतर बनाने के लिये "ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड" लॉन्च किया।
- इस नीति ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ 'ओपन यूनिवर्सिटी' प्रणाली का विस्तार किया।
- ग्रामीण भारत में जमीनी स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा देने के लिये महात्मा गांधी के दर्शन पर आधारित "ग्रामीण विश्वविद्यालय" मॉडल के निर्माण के लिये नीति का आह्वान किया गया।

पूर्ववर्ती शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता क्यों?

- बदलते वैश्विक परिदृश्य में ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये मौजूदा शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
- शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने, नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये नई शिक्षा नीति की आवश्यकता थी।

- भारतीय शिक्षण व्यवस्था की वैश्विक स्तर पर पहुँच सुनिश्चित करने के लिये शिक्षा के वैश्विक मानकों को अपनाने के लिये शिक्षा नीति में परिवर्तन की आवश्यकता थी।
- नई शिक्षा नीति से संबंधित चुनौतियाँ
- राज्यों का सहयोगः शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण अधिकांश राज्यों के अपने स्कूल बोर्ड हैं इसलिये इस फैसले के वास्तविक कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकारों को सामने आना होगा। साथ ही शीर्ष नियंत्रण संगठन के तौर पर एक राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक परिषद को लाने संबंधी विचार का राज्यों द्वारा विरोध हो सकता है।
- महँगी शिक्षाः नई शिक्षा नीति में विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश का मार्ग प्रशस्त किया गया है। विभिन्न शिक्षाविदों का मानना है कि विदेशी विश्वविद्यालयों में प्रवेश से भारतीय शिक्षण व्यवस्था के महँगी होने की आशंका है। इसके फलस्वरूप निम्न वर्ग के छात्रों के लिये उच्च शिक्षा प्राप्त करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
- शिक्षा का संस्कृतिकरणः दक्षिण भारतीय राज्यों का यह आरोप है कि 'त्रि-भाषा' सूत्र से सरकार शिक्षा का संस्कृतिकरण करने का प्रयास कर रही है।
- फंडिंग संबंधी जाँच का अपर्याप्त होनाः कुछ राज्यों में अभी भी शुल्क संबंधी विनियमन मौजूद हैं, लेकिन ये नियामक प्रक्रियाएँ असीमित दान के रूप में मुनाफाखोरी पर अंकुश लगाने में असमर्थ हैं।
- वित्तपोषणः वित्तपोषण का सुनिश्चित होना इस बात पर निर्भर करेगा कि शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय के रूप में जीडीपी के प्रस्तावित 6%खर्च करने की इच्छाशक्ति कितनी सशक्त है।
- मानव संसाधन का अभावः वर्तमान में प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में कुशल शिक्षकों का अभाव है, ऐसे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत प्रारंभिक शिक्षा हेतु की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन में व्यावहारिक समस्याएँ भी हैं।

निष्कर्ष

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिये भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव हेतु जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 को मंजूरी दी है अगर उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले आएगी। नई शिक्षा नीति, 2020 के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात् आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व-प्राथमिक शिक्षा (3-6 वर्ष की आयु सीमा) को सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, थ्री-डी मशीन, डेटा-विश्लेषण, जैवप्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों के समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों में भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी।

नया उपभोक्ता संरक्षण कानून, 2019

संदर्भः-20 जुलाई, 2020 को नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 को लागू किया गया जो उपभोक्ताओं को सशक्त करने के साथ उन्हें इसके विभिन्न अधिसूचित नियमों और प्रावधानों के माध्यम से उनके अधिकारों की रक्षा करने में मदद करेगा। नया अधिनियम पुराने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 की तुलना में तीव्रता से और कम समय में कार्यों का निपटान करेगा। पुराना अधिनियम न्याय हेतु सिंगल-प्वाइंट पहुँच के कारण ज्यादा समय लेता था।

CONSUMER PROTECTION ACT 1986	PROVISIONS	CONSUMER PROTECTION ACT 2019
No separate regulator	Regulator	Central Consumer Protection Authority (CCPA) to be formed
Complaint could be filed in a consumer court where the seller's (defendant) office is located	Consumer court	Complaint can be filed in a consumer court where the complainant resides or works
No provision. Consumer could approach a civil court but not consumer court	Product liability	Consumer can seek compensation for harm caused by a product or service
District: up to ₹20 lakh State: ₹20 lakh to ₹1 cr National: above ₹1 cr	Pecuniary jurisdiction	District: up to ₹1 cr State: ₹1 cr to ₹10 cr National: Above ₹10 cr
No provision	E-commerce	All rules of direct selling extended to e-commerce
No legal provision	Mediation cells	Court can refer settlement through mediation

INFUSION NOTES WHEN ONLY THE BEST WILL DO

अध्याय – 3

प्रारूप लेखन

दूर स्थित अपने परिचित लोंगो से सम्बन्ध स्थापित करने के लिए अथवा विचार - विमर्श करने के लिए पत्राचार एक महत्वपूर्ण साधन हैं । दूर रहने वाले अपने परिचितों, सगे - सम्बन्धियों, व्यापारियों, समाचार - पत्र के सम्पादकों, सरकारी – गैर सरकारी कार्यालयों के अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित करने अथवा सूचना प्राप्त करने के लिए पत्राचार का विशेष महत्त्व हैं । पत्र विविध प्रकार के होते हैं और उनके लिखने का स्वरूप भी अनेक प्रकार का होता हैं । अतः सभी प्रकार के पत्रों को लिखने का सम्यक् तरीका जानना आवश्यक होता हैं । इन सबका परिचय और नमूना नीचे दिया जायेगा ।

मोटे रूप में पत्रों के दो भेद होते हैं -

(क) सामान्य पत्र

(ख) कार्यलयीय पत्र

(क) सामान्य पत्र

इस प्रकार के पत्रों के अन्तर्गत अपने सगे - सम्बन्धियों को लिखे गये पत्र, विवाह में उपस्थित होने के लिए आमंत्रण, किसी शुभ कार्य में उपस्थित होने के लिए पत्र, बधाई संदेश आदि आते हैं ।

(1) पारिवारिक या घरेलू पत्र

(2) सामाजिक पत्र ।

(1) पारिवारिक या घरेलू पत्र -

ऐसे पत्रों के माध्यम से हम दूर स्थित अपने सगे - सम्बन्धियों, परिवार के सदस्यों से निकट का सम्बन्ध स्थापित करते हैं । पारिवारिक पत्र लिखते समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिएः-

(1)पत्र लिखते समय शुरू में कागज के ऊपरी सिरे के दाहिनी ओर प्रेषक पूरा पता और पत्र भेजने का दिनांक लिखना चाहिए ।

(2)जहाँ पर दिनांक दिया गया हैं उसकी सीध में बाएँ हाथ की ओर हाशिया (कागज का चौथाई भाग) छोड़ने के बाद सम्बोधन शब्द लिखना चाहिए और उसके बाद अल्पविराम का चिन्ह लगाना चाहिए।

(3)अल्पविराम (कॉमा) के ठीक नीचे अभिवादन शब्द (नमस्कार, प्रणाम आदि) लिखकर पूर्ण विराम लगाना चाहिए । उसके बाद उसके नीचे से पत्र का वर्ण्य - विषय लिखना शुरू करना चाहिए ।

विविध सम्बन्धों के अनुसार यथा योग्य सम्बोधन - शब्द, अभिवादन - शब्द एवं समापन शब्द लिखना चाहिए । इससे सम्बन्धित एक तालिका नीचे दी जा रही हैं - सम्बन्ध- शब्द	सम्बोधन - शब्द	अभिवादन - शब्द	समापन
माता - पुत्र	प्रिय राजेन्द्र,	सुखी रहो, प्रसन्न रहो	तुम्हारी शुभाकांक्षिणी
पिता-पुत्र	प्रिय मोहन,	स्नेहाशीष या प्रसन्न रहो	तुम्हारा शुभाकांक्षी या शुभाशीष
माँ-पुत्री	प्रिय प्रभा,	सुखी रहो या प्रसन्न रहो	तुम्हारी शुभाकांक्षिणी
पिता - पुत्री	प्रिय विभा,	सुखी रहो	शुभाकांक्षी
पुत्र - पिता	पूज्य पिता जी,	सादर प्रणाम	आपका स्नेहाकांक्षी
पुत्री - पिता	पूज्य पिता जी,	सादर प्रणाम	आपकी स्नेहाकांक्षिणी

पुत्र - माता	पूज्यनीय माता जी	सादर प्रणाम	आपका स्नेहाकांक्षी
पुत्री - माता	पूज्यनीय माता जी	सादर प्रणाम	आपकी स्नेहाकांक्षिणी
बड़ा - भाई	प्रिय प्रदीप,	स्नेहाशीष	तुम्हारा शुभाकांक्षी
छोटा भाई- बड़ा भाई	पूज्य भाई साहब	सादर प्रणाम	आपका स्नेहाकांक्षी
छोटी बहन- बड़ी बहन	पूजनीय दीदी,	सादर प्रणाम	आपकी स्नेहाकांक्षिणी
पति-पत्नी	प्रिय, प्रिये	शुभाशीष	मधुर प्यार
पत्नी-पति	मेरे प्राणधन या प्रियतम	सादर प्रणाम / मधुर स्मृति	तुम्हारी स्नेहाकांक्षिणी
गुरु - शिष्य	प्रिय रामनाथ,	शुभाशीष	तुम्हारा शुभेच्छु
शिष्य - गुरु	श्रद्धेय गुरुदेव	सादर प्रणाम	आपका स्नेहाकांक्षी
मित्र - मित्र	बन्धुवर वीरेन्द्र,	नमस्कार	तुम्हारा प्रिय भाई आपका
अपरिचित- अपरचित	प्रिय महोदय	नमस्कार	भवदीय

(4) अभिवादन शब्द के पश्चात् पत्र लिखना शुरू किया जाता हैं । पत्र कई प्रकार से शुरू किये जाते है, जैसे - आपने लिखा हैं कि ....'आज ही आपका पत्र मिला हैं..........' 'आपका पत्र मिला', 'कई महीनों से तुम्हारे समाचार नहीं मिले आदि ।

ऐसे वाक्यों के बिना भी पत्र लिखना शुरू किया जा सकता हैं । अलग-अलग बातों को सुविधानुसार अलग-अलग अनुच्छेदों में लिखना चाहिए । पत्र की भाषा सरल होनी चाहिए ।

(5) अंतिम अनुच्छेद में प्रेषिती के साथ रहने वाले अन्य खास लोगों के नाम का उल्लेख किया जा सकता हैं, तथा साथ ही उनके प्रति अभिवादन - शब्द भी लिखना चाहिए । अंत में समापनपरक वाक्य लिखने की भी प्रथा हैं - जैसे - 'आशा है आप स्वस्थ एवं सानन्द होंगे,' 'आशा है तुम अच्छी तरह से हों' आदि ।

(6) अंत में समापन - शब्द लिखना चाहिए और उसके नीचे हस्ताक्षर करना चाहिए ।

(7) प्रेषिती का पता कार्ड अथवा लिफाफे पर इस प्रकार लिखना चाहिए –

प्रेषिती;

श्री अलख निरंजन त्रिपाठी

बी. 21/109 ए, मातृ - मन्दिर,

कमच्छा,

वाराणसी - । (उ.प्र.)

पारिवारिक पत्रों के नमूने

(1) पिता का पत्र पुत्र को -

54, गुरुधाम कॉलोनी

वाराणसी

दिनांक 5-5-77

प्रिय राजू,

स्नेहाशीष !

तुम्हारा पत्र मिला । पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि तुम्हारी वार्षिक लिखित परीक्षा समाप्त हो गयी और तुमने परीक्षा में प्रश्नों का उत्तर अच्छी तरह लिखा हैं । शीघ्र ही तुम्हारी प्रयोगात्मक परीक्षा भी हो जायेगी । इसके बाद तुम लखनऊ होते हुए घर चले आओ ।

यहाँ इस समय गर्मी अधिक पड़ रही हैं । तुम्हारी माँ की ओर से शुभाशीर्वाद एवं अर्चना का सादर प्रणाम ।

बधाई पत्र

25, रवीन्द्रपुरी,
वाराणसी
दिनांक 7-10-1977 ई.

प्रिय बन्धु शर्मा जी,

नमस्कार !

मुझे यह जानकर हार्दिक हर्ष हुआ कि तुमने भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) की 1976 की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया हैं । इस सफलता पर मेरी हार्दिक बधाई । आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास भी हैं कि आगे भी तुम अपनी विलक्षण प्रतिभा एवं कर्त्तव्यनिष्ठ से जीवन में निरंतर उन्नति करोगे ।

आशा है स्वस्थ एवं सानन्द हो !

तुम्हारा अभिन्न अनुराग –
रामचन्द्र शर्मा

कार्यालयी पत्र

प्रत्येक संस्था का अपना एक कार्यालय होता हैं, जिसे उक्त संस्था का प्रशासन - केन्द्र कहा जा सकता हैं । जो पत्र कार्यालयों को अथवा कार्यालयों से भेजे जाते हैं उन्हें कार्यालयी पत्र कहते हैं । ऐसे पत्रों का प्रयोग दो सरकारों के बीच, सचिवालय के अन्तर्गत दो कार्यालयों के बीच, दो संस्थाओं के बीच अथवा एक संस्था और उसके कर्मचारियों के बीच होता हैं । नौकरी के लिए आवेदन - पत्र, अन्याय के प्रति प्रतिवेदन, किसी विषय से सम्बन्धित प्रतिवेदन, किसी समस्या के सम्बन्ध में अपनी प्रतिक्रिया जन-जन तक पहुँचाने के लिए सम्पाद के नाम पत्र आदि भी कार्यालयी पत्रों के ही रूप है, क्योकि ये किसी न किसी कार्यालय से सम्बन्धित होते हैं । पत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत करते समय प्रायः ही काल्पनिक नाम, पते प्रयुक्त हुए हैं । इस प्रकार कार्यालयीय पत्र अनेक प्रकार के होते हैं -

(1) आवेदन पत्र (प्रार्थना-पत्र)

(2) प्रतिवेदन (रिपोर्ट) ।

(3) प्रत्यावेदन (रिप्रेजेंटेशन)

(4) संपादक के नाम पत्र,

(5) व्यावसायिक पत्र,

(6) शासकीय पत्र (सरकारी पत्र),

(7) टिप्पणी लेखन ।

(1) आवेदन पत्र

नौकरी के सम्बन्ध में अथवा किसी संस्था के प्रधान को अवकाश आदि के सम्बन्ध में आवेदन - पत्र या प्रार्थना - पत्र लिखे जाते हैं । आवेदन-पत्र लिखने के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना जरूरी हैं ।

(1) कागज के बायीं ओर 'सेवा में' लिखने के बाद उसके ठीक नीचे प्रेषिती का पद और सम्बद्ध विभागीय पता लिखना चाहिए ।

(2) उपर्युक्त बात लिखने के बाद बायीं ओर ही सम्बोधन - शब्द 'महोदय' (स्त्री. के लिए 'महोदया') लिखना चाहिए तथा उसके उपरान्त उसके नीचे नयी पंक्ति से अपनी बात लिखना प्रारम्भ करना चाहिए ।

(3) अन्त में वर्ण्य विषय (अपनी बात) लिख लेने के बाद कागज के दाहिनी ओर समापन-शब्द 'भवदीय' (यदि अभ्यर्थी स्त्री. हो तो 'भवदीया') लिखना चाहिए । इसके नीचे अपना स्पष्ट हस्ताक्षर करना चाहिए । हस्ताक्षर के नीचे स्थायी पता देना चाहिए ।

(4) समापन-शब्द और स्थायी पता के बायीं ओर आवेदन-पत्र का दिनांक अंकित करना चाहिए ।

(5) यह ध्यान देने की बात हैं कि वर्ण्य - विषय में अनावश्यक बातें न लिखी जायँ । भाषा सरल,स्पष्ट हो तथा जो भी लिखना हो उसे संक्षेप में लिखना चाहिए ।

प्रिय दोस्तों, अब तक हमारे नोट्स में से अन्य परीक्षाओं में आये हुए प्रश्नों के परिणाम देखने के लिए क्लिक करें -

RAS PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=p3_i-3qfDy8&t=1253s

Rajasthan CET Gradu. Level - https://youtu.be/gPqDNlc6UR0

Rajasthan CET 12th Level - https://youtu.be/oCa-CoTFu4A

VDO PRE. - https://www.youtube.com/watch?v=gXdAk856W18&t=202s

Patwari - https://www.youtube.com/watch?v=X6mKGdtXyu4&t=2s

PTI 3rd grade - https://www.youtube.com/watch?v=iA_MemKKgEk&t=5s

SSC GD – 2021 - https://youtu.be/2gzzfJyt6vI

EXAM (परीक्षा)	DATE	हमारे नोट्स में से आये हुए प्रश्नों की संख्या
RAS PRE. 2021	27 अक्तूबर	74 प्रश्न आये
SSC GD 2021	16 नवम्बर	68 (100 में से)
SSC GD 2021	30 नवम्बर	66 (100 में से)
SSC GD 2021	08 दिसम्बर	67 (100 में से)
राजस्थान S.I. 2021	14 सितम्बर	119 (200 में से)
राजस्थान S.I. 2021	15 सितम्बर	126 (200 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (Ist शिफ्ट)	79 (150 में से)

RAJASTHAN PATWARI 2021	23 अक्तूबर (2^{nd} शिफ्ट)	103 (150 में से)
RAJASTHAN PATWARI 2021	24 अक्तूबर (2nd शिफ्ट)	91 (150 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (1^{st} शिफ्ट)	59 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	27 दिसंबर (2^{nd} शिफ्ट)	61 (100 में से)
RAJASTHAN VDO 2021	28 दिसंबर (2nd शिफ्ट)	57 (100 में से)
U.P. SI 2021	14 नवम्बर 2021 1^{st} शिफ्ट	91 (160 में से)
U.P. SI 2021	21नवम्बर2021 (1^{st} शिफ्ट)	89 (160 में से)
Raj. CET Graduation level	07 January 2023 (1^{st} शिफ्ट)	96 (150 में से)
Raj. CET 12^{th} level	04 February 2023 (1^{st} शिफ्ट)	98 (150 में से)

& Many More Exams like UPSC, SSC, Bank Etc.

INFUSION NOTES
WHEN ONLY THE BEST WILL DO
FREE SAMPLE

नोट्स खरीदने के लिए इन लिंक पर क्लिक करें

Whatsapp - https://wa.link/dy0fu7

Online order – https://bit.ly/3BGkwhu

Call करें - 9887809083